न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—(89 / 2005) 137 / 2019

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. मूलाराम पुत्र भोलाराम जाति जाट के कायम मुकाम कायम :—	1.	चोलाराम पुत्र पुराराम (फौत) के कायम मुकामात :—
1 / 1 मिश्री देवी पत्नी स्व. मूलाराम		1 / 1 अणदी बाई पत्नी स्व. चोलाराम
1 / 2 सुरेश कुमार पुत्र स्व. मूलाराम		1 / 2 छैलाराम पुत्र स्व. चोलाराम
1 / 3 कन्या देवी पुत्री स्व. मूलाराम		1 / 3 शिवलाल पुत्र चोलाराम
1 / 4 लक्ष्मण पुत्र स्व मूलाराम		1 / 4 सीता पुत्री स्व. चोलाराम
जातिगण जाट निवासीगण सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1 / 5 गीता पुत्री स्व. चोलाराम
	2.	रूपा पुत्र पुखा
	3.	राजा पुत्र पुखा
	4.	भंवरिया पुत्र पुखा
	5.	शांतिया पुत्र पुखा तमाम जातिगण जाट, निवासीगण धुन्धला तहसील मा0जं0 जिला पाली राजस्थान
	6.	तहसीलदार (भू0अ0) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री जीवराजसिंह लखावत, श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्तागण वादी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र मेहता अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 13/12/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा सोजत रोड पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत में खसरा नम्बर 88, 89, 90, 91, 115, 117, 118, 119, 120, 121 कुल खसरा 10 कुल रकबा 4.18 हैक्टर किस्म बा0अ0 की आई हुई स्थित है। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि के खसरा नम्बर 26 , 42 कुल खसरा 02 कुल रकबा साढे ईक्कीस बीघा का था । वादस्थ कृर्षि भूमि में वादीगण के पिता भोला उर्फ भोपाल वल्द प्रभु का एक बट्टा दो हिस्सा खातेदारी का था व एक बट्टा दो हिस्सा सादुल वल्द नन्दा का था। सादुल वल्द नन्दा की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 12.04.1964 भरा जाकर सादुल के तीन पुत्र भुरा, पुखा, भोला का नाम दर्ज किया गया। और आधा हिस्सा वादीगण के पिता भोपाल वल्द प्रभु का रहा। उक्त नामान्तरकरण भरे जाने के बाद सादुल की फौतेदगी का और नामा0 संख्या 75 दिनांक 12.02.1967 दर्ज कर दिया गया और उसमें भुरा वल्द सादुल, पुखा वल्द सादुल, का नाम भरा गया व

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

भोला का नाम नही दर्ज किया गया और वादी के पिता भोपाल वल्द प्रभु नाम हटाकर भोला पुत्र प्रभु का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि इस भूमि में सादुल के पुत्र भुरा, पुखा व भोला तीनों का 1/2 हिस्सा था और वादी के पिता भोपाल वल्द प्रभु का एक बट्टा दो हिस्सा खातेदारी का था, किन्तु सादुल की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का एक बट्टा तीन हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादी के पिता का इस भूमि में एक बट्टा दो हिस्सा खातेदारी का था और वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात वादी का इस भूमि में 1/ 2 हिस्सा भोला का नाम नहीं भरा गया और वादी के पिता भोपाल वल्द प्रभु का नाम हटाकर भोला वल्द प्रभु का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जबकि इस भूमि में सादुल के पुत्र भूरा, पुखा व भोला तीनों का 1/2 हिस्सा था और वादी के पिता भोला वल्द प्रभु का 1/2 हिस्सा खातेदारी का था। वादी के पिता भोपाल वल्द प्रभु का 1/2 हिस्सा खातेदारी का था, किन्तु सादुल की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड में वादी के पिता का 1/3 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी के पिता का इस भूमि में 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का था और वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् वादी का इस भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी का हैं। वादी अपने हिस्से की भूमि काबिज काश्त चला आ रहा हैं। वादी के पिता भोला वल्द प्रभु की मृत्यु के बाद वादी का नाम संवत् 2028–2031 की जमाबंदी में चला आ रहा हैं। वादी का इस भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी का हैं, किन्तु रेकर्ड में 1/3 हिस्सा गलत दर्ज रहा हैं। प्रति0 सं0 1 से 5 का इस भूमि में 1/2 हिस्सा खातेदारी का हैं। वादी ने जून 2004 में राजस्व रेकर्ड की नकलें मंगवाई तब पता चला की वादी का हिस्सा गलत दर्ज हो चुका हैं। उक्त त्रुटि दुरूस्त करवाकर वादी वादस्थ भूमि में 1/2 खातेदारी में दर्ज करवाना चाहता हैं। जिससे उक्त वाद विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर वादस्थ कृषि भूमि खसरा नम्बर 88, 89, 90, 91, 115, 117, 118, 119, 120, 121 कुल खसरा 10 कुल रकबा 4.18 हैक्टर में वादी का 1/2 हक हिस्सा दर्ज किये जाने एवं वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर वादी की खातेदारी भूमि को अलग तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 07.12.2005 को प्रति0 सं0 1 से 5 की ओर से जबाब दावा पेश किया गया। जबाब दावा पेश कर अधिवक्ता मय प्रतिवादी द्वारा निवेदन किया कि वादस्थ भूमि से संबंधित वाद क्रमांक 112/94 जो पुनः 16/97 दर्ज होकर दिनांक 18.07.2001 को अदम हाजिरी अदम पैरवी खारिज होने से वादी का यह वाद रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने से चलने लायक नहीं हैं। वादी द्वारा भोला उर्फ भोपाल वल्द प्रभु का 1/2 हिस्सा व सादुल वल्द नंदा का 1/2 हिस्सा होना

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (राज.)

गलत बताया है। नामा0 सं0 20 दिनांक 12.04.1964 गलत भरा गया हैं। सादुल की मौतेदगी का नामा0 सं0 75 दिनांक 12.02.2002 सही भरा गया हैं। भोला नामक सादुल का कोई पुत्र नहीं है। भोपाल वल्द प्रभु का नाम कोई व्यक्ति ग्राम घुंघला व सोजत रोड में नहीं हैं। इस लिए भोपाल वल्द प्रभु का नाम सही हटाया। वादी के पिता का नाम भोपाल वल्द प्रभु नहीं होकर भोला वल्द प्रभु हैं। उसका वादस्थ कृषि भूमि मे मात्र 1/10 हिस्सा खातेदारी का था। वादी का केवल 1/3 हिस्से पर ही कब्जा काश्त हैं। वास्तविक तथ्य के अनुसार वादी को उसके पिता के समय से वादस्थ भूमि में 1/3 हिस्सा होने और राजस्व रेकर्ड में 1/3 हिस्सा दर्ज होने का पूर्ण ज्ञान था। प्रतिवादी सं0 1 से 5 का 2/3 हिस्से पर कब्जा काश्त रहा हैं। ख0न0 88 से 91, 115, 117 से 121 रकबा 4 है0 18 एयर में वादी का 1/3 हिस्से का हक हैं। पक्षकारों के कब्जे संलग्न नजरी नक्शे में बताया गया हैं। मौके पर उक्तानुसार बंटवाड़ा कर लिया गया हैं एवं उसी अनुसार मौके पर काबिज हैं। इस प्रकार जबाब दावा पेश कर वादी का वाद खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

दिनांक 15.02.2011 को वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जबाव दावा के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई–

01. आया वादपत्र के पैरा सं0 1 में वर्णित भूमि में वादी 1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

(जिम्मे वादी)

02. आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा का बाई एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाकर कब्जा प्राप्त करने एवं राजस्व रेकर्ड में पृथक ख0नं0, रकबा एवं लगान का इन्द्राज करवाने का अधिकारी हैं।

(जिम्मे वादी)

03. आया वादी के लिखित दिनांक 04.11.1985 पर हस्ताक्षर होने से वादी इससे एसटोपड है तथा वाद खारिज योग्य हैं।

(जिम्मे प्रतिवादी)

04. आया वाद धारा 11 सी0पी0सी0 के अनुसार रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने से दुबारा चलने योग्य नहीं हैं।

(जिम्मे प्रतिवादी)

05. अनुतोष।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उपरोक्त तनकियात में से तनकी सं0 4 कानूनी तनकी होने से उक्त तनकी पर बहस सुनी गई एवं दिनांक 13.06.2011 को आदेश पारित किया गया एवं तनकी सं0 4 प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में तय की गई।

अधिवक्ता वादी द्वारा शहादत वादी में तस्दीकसुदा शपथ पत्र पी0डब्ल्यू0 1 मूलाराम, पी0डब्ल्यू0 2 भंवरलाल, पी0डब्ल्यू0 3 प्रतापराम, पी0डब्ल्यू0 4 रावताराम, पी0डब्ल्यू0 5 बुधाराम, पी0डब्ल्यू0 7 राजुसिंह के पेश किये एवं बयान कलमबद्ध करवाये जाकर दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत् 2058–61 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श–1, खसरा मिलान प्रदर्श–2, नामा0 सं0 20 प्रदर्श–3, नामा0 सं0 75 प्रदर्श–4, खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2010–19 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2019–22 प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत् 2024–27 प्रदर्श–7, खसरा बन्दोबस्त प्रदर्श–8, तथा राव की बही की वंशावली प्रदर्श–9 हैं, जो प्रदर्शित करवाये गए। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता, पुनः परीक्षण करवाकर जिरह प्रतिवादी बन्द की गई। दिनांक 30.06.2014 को शहादत वादी पूर्ण होने से शहादत वादी बंद की गई।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा शहादत प्रतिवादी में डी0डब्ल्यू0 1 रूपाराम, डी0डब्ल्यू0 2 शांतिलाल, डी0डब्ल्यू0 3 भंवरलाल, डी0डब्ल्यू0 4 नारायणलाल, डी0डब्ल्यू0 5 ढगलाराम के तस्दीकसुदा शपथ पत्र पेश किये एवं बयान कलमबद्ध करवाये जाकर अपने जबाब दावे के समर्थन में दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया, जिसमें पत्रावली सं0 16/97 की आदेशिकाएं EXD-2, वाद पत्र की प्रमाणित प्रति EXD-3, राजस्व मूल वाद सं0 112/94 की जबाब दावे की प्रमाणित प्रति EXD-4, कायम तनकियात EXD-5, प्रस्तुत नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति EXD-6, उक्त प्रकरण में प्रस्तुत वकालतनामा की प्रमाणित प्रति EXD-7, ग्राम सोजत रोड. की जमाबंदी 2024–27 EXD-8, ग्राम सोजत रोड़ की जमाबंदी 2028–31 EXD-9, नामा0 सं0 75 EXD-10, भू–प्रबन्धन विभाग का खसरा मिलान EXD-11, भू–प्रबन्धन विभाग की पर्चा खतौनी EXD-12A, ग्राम सोजत रोड़ की नामा0 सं0 39 EXD-13, लिखत दिनांक 04.11.1985 की छाया प्रति EXD-14, जमाबंदी 2042–45 EXD-15, जमाबंदी 2070–73 EXD-16, नामा0 सं0 137 EXD-17 हैं, जो प्रदर्शित करवाये गए। जिरह अधिवक्ता वादी एवं पुनः परीक्षण किया गया। शहादत प्रतिवादी एवं जिरह अधिवक्ता वादी पूर्ण होने से दिनांक 11.10.2023 को शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उभय पक्षों द्वारा पृथक–पृथक लिखित बहस पेश की। अधिवक्ता वादी ने लिखित बहस के जरिये निवेदन किया कि हाजा न्यायालय में प्रतिवादी चौलाराम, रूपाराम, राजाराम, शान्तिया, भतरीया एवं तहसीलदार, सोजत के विरूद्ध दिनांक 19.07.2005 को वाद पत्र 88, 53 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया तथा न्यायालय से अनुतोष चाहा कि सरहद मौजा सोजतरोड़ के पटवार हल्का सिगाट मे स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 88, 89, 90, 91, 115, 117, 118, 119, 120, 121, कुल खसरा 10 रकबा 4.18 हैक्टर तथा इस कृषि भूमि के सेटलमेन्ट के पूर्व खसरा संख्या 26, 42 थे, वाद पत्र के पैरा संख्या 08 (1) के अनुसार डिक्री वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा की जावे कि वादपत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी घोषित फरमायें, तथा बाई मिटस् एण्ड बाउण्ड्स बटवाड़ा करवाया जाकर वादी के हिस्से की खातेदारी की भूमि को प्रतिवादी की भूमि से अलग की जावे वादी को अलग से कब्जा दिलाया जावे, लगान तथा राजस्व रेकर्ड में वादी का अलग दर्ज किया जावे। वादी के द्वारा उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व लिपिक से दिनांक 19.07.2005 को रिपोर्ट करवायी गयी तथा दिनांक 20.07.2005 को वादपत्र संख्या 89/2005 के रूप में दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर दिनांक 19/10/2005 को अधिवक्ता श्री सम्पतराज मेहता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 07.12.2005 को प्रतिवादी के द्वारा जवावदावा पेश किया गया, रेकर्ड पेश करने हेतु न्यायालय से समय की मांग की प्रतिवादी को समय देने के बावजुद दिनांक 07.12.2005 से 17.07.2008 में करीब ढाई वर्ष तक रेकर्ड पेश नहीं करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के रेकर्ड का अवसर बंद कर पत्रावली तनकीयात में कायम कर दी गई। दिनांक 11.09.2008 से दिनांक 15.02.2011 तक पत्रावली A/D रेकर्ड तनकी में विचाराधीन रहने पर आखिर दिनांक 15.02.2011 को तनकीयात कायम कर दी गई, जो पत्रावली पर उपलब्ध हैं। न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2011 को पांच तनकी बनाई गई, जो रेकर्ड पर हैं। वादी के द्वारा न्यायालय के समय तनकी संख्या 01 तथा तनकी संख्या 02 साबित करना रहा जिस पर वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष गवाह –PW 1 मूलाराम, PW 2 भवरलाल, PW 3 प्रतापराम, PW 4 रावतराम, PW 5 बुद्धाराम, PW 7 राजुसिंह के बयान कलमबद्ध करवाए गए तथा वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष दस्तावेज क्रमशः प्रदर्श 1 जमाबंदी, प्रदर्श 2 मिलान बरोबस्त, प्रदर्श 3 नामान्तरण, प्रदर्श 4 नामान्तरण संख्या 102, प्रदर्श 5 खतौनी बदोवस्त, प्रदर्श 6 जमाबंदी, प्रदर्श 7 जमाबंदी, प्रदर्ष – 8 बदौबस्त, प्रदर्ष 9 रावजी की वंशावली, दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। वादी के जिम्मे तनकी संख्या 01 व 02 रही जिसे वादी को

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर साबित करना रहा था। तथा प्रतिवादी
के जिम्मे तनकी संख्या 03 व 04 रही थी, जिसमें तनकी संख्या 4 के सम्बंध में
न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी पर दोनो पक्षों
में सुना गया तथा दिनाक 13.06.2011 को विस्तृत रूप से तनकी संख्या 04 पर
आदेश पारित किया। तथा वादी के वाद को रेस ज्यूडीकेटा की श्रेणी में नही
मानकर तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के विरुद्ध तय की गई तथा वादी के पक्ष में
मानी, प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी.पी.सी खारिज किया गया।
उसके पश्चात् प्रतिवादी ने श्रीमान के आदेश दिनांक 13.06.2011 को ही रिव्यू
करने हेतु अन्तर्गत धारा 239 सी.पी.सी. प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय ने
खारिज कर दिया। जिस पर आदेश के विरुद्ध प्रतिवादी ने अपीलीय न्यायालय में
कोई विधिक कार्यवाही नहीं की। न्यायालय का आदेश आज भी प्रभावी हैं की
इसलिए तनकी संख्या 04 जो प्रतिवादी के जिम्मे थी। प्रतिवादी तनकी संख्या 04
साबित नही कर पाया। इसी प्रकार तनकी संख्या 05 का भार प्रतिवादी पर रहा,
जिसका अग्रिम पदो में निस्तारण होना अंकित है। वादी के जिम्मे तनकी संख्या
01 व 02 रही है, इस हेतु वादी ने अपने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया
कि वादी के पिता भोला उर्फ भोपाल वल्द प्रभु का एक बट्टा दो हिस्सा था, तथा
एक बट्टा दो हिस्सा सादुल वल्द नन्दा का था खतौनी बदौवस्त 2010 से 2019
स्पष्ट रूप से वर्णित कर बताया की वादी के पिता की दस्तावेज के अनुरूप 1/2
हिस्सा रहा है। सर्वप्रथम प्रदर्श 09 का अवलोकन करे तो राव की बही के अनुरूप
वादी एवं प्रतिवादी की वंशावली रेकर्ड से वंशावली पेश हुई है, जिसमें खुमाराम
जी के चार बेटे जोराराम, नंदाजी, मुकनाजी, सेराजी, थे। तथा नंदाजी के दो बेटे
परबूजी व सादुल जी रहे, इसलिए वंशावली के अनुसार भी सादुल जी 1/2
हिस्सा व परबूजी 1/2 हिस्सा रहा है। तथा परबूजी के पुत्र भोलाराम, भोलाराम
के पुत्र मूला जी रहे, तो बाई बर्थ भी वादी का 1/2 हिस्सा ही आता है इस
सम्बंध में PW 1 मूलाराम ने शपथपत्र पेश कर बयान दिया वादग्रस्त कृषि भूमि में
वादी का बाई बर्थ 1/2 हिस्सा आता है तथा सार्दुल जी वल्द नंदा जी की मृत्यु
हुई तब नामान्तण संख्या 20 दिनांक 12/04/1964 को गलत भरा गया सार्दुल
जी के दो पुत्र थे, उसमें फेर फार कर भौला को भी सादुलजी का पुत्र बता दिया
जबकि भौला पुत्र प्रभुजी है। भोपाल कोई नही था। तथा नामान्तरकरण 75
दिनांक 12/2/1967 में भी भुरा पुत्र सार्दुल मरा, पुखा पुत्र सादुल, का हिस्सा
गलत कर भोपाल पुत्र प्रभु दर्ज कर दिया भौला पुत्र श्री प्रभु 1/3 हिस्सा गलत
दर्ज कर दिया जबकि वंशावली के अनुसार भौला पुत्र प्रभु ही 1/2 हिस्से का
मालिक है। भौपाल नाम से परिवार में कोई नही था। वादी मूलाराम से दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

30/09/2013 को जिरह हुई जिसमें भी नामान्तरकरण के बारे में तथा कृषि भूमि के बारे में बताया । पुराना खसरा नंबर तथा रकबा भी बताया। सार्दुल जी भूरा और पुखाराम के पिताजी है। सार्दुल जी का नामान्तारण गलत भरा गया है। सार्दुल जी के दो बेटो की जगह तीसरा का गलत म्यूटेशन भर दिया। भौलाराम प्रभुजी का बेटा है। सार्दुल जी के भौलाराम नाम का कोई बेटा नही है। भोपाल नाम का कोई व्यक्ति प्रभुजी का बेटा नही था। मेरे पिता का 1/2 हिस्सा आता है। भौलाराम पुत्र प्रभुजी मेरे पिताजी थे, भोपाल जी मेरे पिता नही है। वादस्थ कृषि भूमि में सार्दुलजी के तीन पुत्र भौला, भुरा, पुका, का हिस्सा गलत लिखा है। सम्वत् 2026 में वादी को पता चला की मेरा हिस्सा गलत लिखा है। मेरी उम्र 12–13 वर्ष ही थी। इसी प्रकार वादी ने स्पष्ट बताया कि वंशावली के अनुरूप वादी के पिता भौला का 1/2 हिस्सा ही आता है। साथ ही वंशावली बाबत् गवाह PW 6 चम्पालाल राव ने भी शपथपत्र प्रस्तुत कर वंशावली को सही बताया। जो वंशावली प्रदर्श 9 है। तथा A से B गवाह के हस्ताक्षर है। भौलाराम अपने पिता परबूजी की एक मात्र सन्तान थी। जिरह में बताया कि वंशावली की चौपड़ी साथ लाया हूं जो प्रदर्श 9A हैं जाजणा गौत्र की है। तथा घूंधला गावं की है। इसमें मूलाराम जी वादी की पीढीया एक साथ ली हुई है। हमारी सुविधा के अनुसार एक साथ पीढी बनाते हैं। वहीं मेरे पिताजी, दादा इत्यादि बनाते आ रहे है। मूलाराम जी के वंशावली में भोपाल वल्द प्रभुजी नाम का कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि भौला वल्द प्रभु नाम का व्यक्ति है। मैं वंशावली काम करता हूं। हर तीसरे साल इनके बेरे पर जाता हूं। सीख लेकर आता हूं। इस प्रकार यह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट आया है कि नंदा के पुत्र प्रभुजी तथा प्रभुजी के पुत्र भौलाजी तथा भौलाजी के पुत्र मुला वादी ही है तथा नंदा जी व सार्दुल जी सगे भाई थे। जिनका 1/2 हिस्सा बाई बर्थ आता है। दिनांक 12.03.14 को वादी मूलाराम ने बताया कि प्रभुजी नंदा जी के बेटे थे, प्रभुजी मेरे दादा थे। मेरे पिताजी के समय से आज तक 1/2 हिस्सा पर वादी का कब्जा काश्त हैं जमीन आधे आधे हिस्से में बटी हुई हैं प्रतिवादी ने नक्शा गलत पेश किया है। यह बात गलत है कि 1/3 हिस्से पर मेरा कब्जा काश्त मैने कोई लिखित नही की। मौके पर 1/2 हिस्सा है। रेकर्ड में नाम से गलती है। शुरू से 1/2 हिस्सा आ रहा है। इस प्रकार वादी 1/2 हिस्से का मालिक व वादी की और से गवाह दिनांक 12.03.2014 भंवरलाल PW 2 ने बताया कि मूलाराम जी के पिताजी का नाम भौलाराम है। तथा भौलाराम जी के पिताजी का नाम प्रभुजी है। मूलाराम जी का 1/3 हिस्सा नही आता है। जबकि 1/2 हिस्सा आता है। गवाह ने सम्पूर्ण कृषि भूमि की दिशा तथा कहा कहा पर कब्जा व पड़ौस भी बताए है। गवाह ने बताया कि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

भूराराम जी चौलाराम जी के पिताजी हैं। सार्दुल जी के दो बेटे भुरराम, पुखाराम है, तथा मुलाराम जी का 1/2 हिस्सा 35–40 साल से देख रहा हूं। यह गवाह भी वादी वंशावली व 1/2 हिस्से के बारे में स्पष्ट बता रहा है। तथा गवाह प्रताप राम PW 3 में भी सशपथ बयान देकर दिनांक 25.03.2014 को बताता प्रतिवादीगण चौलाराम, रूपाराम, रामाराम, भवरीया, शान्तिया को मैं जानता हूं। मूलाराम जी के पिताजी का नाम भौलाजी है। गवाह, मकान, बेरा, कृषि भूमि तथा भौलाराम जी के बारे में जानकारी का आधा हिस्सा नहीं आता। मूलाराम जी का 1/2 हिस्सा आता है। जो मेरे ध्यान में है। शपथपत्र पत्र में 1/2 हिस्सा सही लिखाया व इसी प्रकार गवाह रावतराम PW 4 दिनांक 25.03.14 को सशपथ बताता है। छपना काल के तीन साल बाद मेरा जन्म हुआ था। मूलाजी के पिताजी का नाम भौलाराम मैने भौलाजी का देखा है भौलाजी के पिताजी का नाम प्रभुजी है। चौलाराम, भुराराम, जी बेटा है। रूपाराम, राजाराम, शान्तिया पुखाजी, के बेटे है। पुखाजी व भुराजी को देखा है। भौलाजी की मृत्यु के समय में 10–12 साल का था हल खड़ता था। विवादित जमीन को भौलाजी भौतिक स्थिति भी गवाह बताता है। आधे हिस्से में मूलाजी का बंट है। चुनड़ी बंट आता है, तथा आधा हिस्सा में रूपा शान्तिया, राजीया, वगैरा का आता है। 1/3 हिस्सा चौलाराम का नही आता है तथा 1/3 हिस्सा रूपा, राजीया, भवरीया, शान्तिया का नही आता है। मौके पर बटवाड़ा 30 साल पहले हो चुका है। मुला बा का आधा हिस्सा दर्ज होना चाहिए। तीजा हिस्सा गलत दर्ज किया हुआ है। मूलाजी का कब्जा आधा हिस्से पर 40 – 45 साल से है। मेरा खेत मूलाजी के खेत के पास है। इसी प्रकार गवाह रामसिंह PW 7 दिनांक 30.06.2014 ने भी सशपथ बना दिए तथा सम्पूर्ण तथ्य ताईद किए है। इस प्रकार वादी एवं उसके गवाहान तथा राव के बयान एक साथ पढते है तो राजस्व रेकर्ड तथा वंशावली के अनुसार वादी मूलाराम जो भौलाराम जी का पुत्र है। भौलाराम जो प्रभुजी का पुत्र है तथा प्रभुजी जो नंदा जी का पुत्र है तथा बाई बर्थ 1/2 हिस्सा आता है। मौके पर 1/2 हिस्से पर काबिज है। राजस्व अधिकारीयों के द्वारा गलत रूप से सार्दुलजी के तीन पुत्र बताकर यादी का 1/3 हिस्सा गलत दर्ज किया है। वादी ने तनकी संख्या 01 को स्पष्ट रूप से साबित किया है। वादी 1/2 हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है।

प्रतिवादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी के गवाह 1. राजाराम, 2. चौलाराम, 3. भंवरलाल, 4. शान्तिलाल, 5. रूपाराम, 6. नारायणलाल, 7. डगलाराम, 8. गोदाराम, 9 कुकाराम कुल 9 जनों के शपथपत्र प्रस्तुत किए लेकिन न्यायालय में गवाह PW 1 रूपाराम, PW 2 शान्तिलाल, PW 3 भंवरलाल, PW 4

नारायणलाल, PW 5 कमलाराम ने ही बयाने दिए, इनके चार गवाह भौलाराम, राजाराम, गोदाराम, कुकाराम, हाजिर नहीं हुए। जिनके शपथपत्र कानून नही पढे जा सकते है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 के सम्बंध में प्रतिवादी के गवाह ने किसी प्रकार का खण्डन नही किया है। प्रतिवादी रूपाराम, बताता है कि शपथपत्र कोर्ट में देते है साहब देते है। शपथपत्र इस रूपयें में खरीदा शपथपत्र बाजार से लाया था, शपथपत्र मैने नहीं बोला था। वकील साहब ने ही लिखाया, नया बीघा व पुराना बीघा में समझता हूं। तथा बीघा मोटा होता हैं पुराना बीघा छोटा होता है। मेरी जमीन पुराना बीघा से नया बीघा होने से कम हो गई खसरा नंबर याद नही, खसरा नंबर में समझता नही। गवाह को खुमाराम जी के बेटो के नाम नही बताए। नंदो बा को मैने नहीं देखा, मैं नही जानता तथा नंदो बा के दो बेटे पुभु जी व सार्दुलजी थें, जिसको गलत बताया, तथा गवाह कहता है कि सार्दुल जी मेरे दादा थे, तथा सार्दुल जी के पिता का नाम में नही जानता । परदादा का नाम नही, जानता। तथा सार्दुलजी नंदा जी सगे भाई थे तो मुझे पता नही, तथा रूपाराम स्वयं बताता है कि सार्दुल जी के दो पुत्र थे, दो पुत्रिया थी, सार्दुलजी की बेटीया का नाम चन्दनी, अणची है। तथा सार्दुलजी के बेटो का नाम भुरोजी, व पुकोजी है। मूलारामजी, को जानता हूं। मूलाजी के पिताजी का नाम भौलाजी है। मूलाजी के कोई भाई नहीं था, भौलाजी के भी कोई भाई नहीं था। यह बात सही है कि भौलाराम जी प्रभुजी के एकाएक ही थे। भुराजी व पुकाजी दोनो सगे भाई है। तथा दोनो सार्दुल जी के बेटे है। तथा भौलाराम जी के भुराजी व पुकाजी सगे भाई नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी भी सगे भाई नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी रूपाराम स्वयं वंशावली की स्वीकार कर रहा है, तथा गौत्र एक होकर भी गलत रूप से राव का नाम बता रहा है तथा राव मनोहरलाल का पता, गाव, फोन नंबर स्थान कुछ नहीं बता रहा है। तथा 68 साल की उम्र में दो बार बहीं बचाने की बात बता रहा है। तथा गवाह वंशावली जान बुझकर नहीं बता रहा है। मुलावा के पिताजी का नाम भोपाल बा नहीं है। मैंने जमाबंदी में सार्दुलजी के पिता का नाम नंदा बा सुना है। भौलाराम, भोपालराम सार्दुलजी के बेटे नहीं है। यह बात नही है। गवाह से सवाल पुछा तो बताया कि भौलाराम, सार्दुलजी का बेटा नही है। यह बात सही है कि मेरे पिता का नाम पुखाराम जी है। तथा पुखाराम जी के चार बेटे है। जिनका पुखाराम जी के हिस्से में 1/4 –1/4 आना चाहिए। यह बात सही है कि सार्दुल जी के दो बेटे भुरा व पुखा है। तथा सार्दुल जी के फौत होने पर भुराजी व पुकाजी का 1/2 –1/2 हिस्सा आना चाहिए। मूलाराम जी का 1/2 हिस्से में कब्जा है तो रहने दो। गवाह ने झूठे बयान देकर सार्दुलजी का सगा भाई चुतराराम बताया। जिसके बारे में सवाल

पूछने पर पूर्ण अनभिज्ञता जाहिर की। गवाह ने अपने कब्जे, पड़ौस, नक्शा, जबावदावा, रेकर्ड के विपरित बयान दिए, शपथपत्र की ताईद नही की। इस प्रकार प्रतिवादी रूपाराम ने किसी भी रूप से तनकी संख्या 1 का खण्डन नहीं किया है। वादी ने स्पष्ट रूप से साबित की है। इसी अनुरूप अन्य गवाहों के बयान वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। प्रतिवादी शान्तिलाल PW 2 के द्वारा दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए तथा शान्तिलाल बताता है कि मेरी मां ने बताया कि सार्दुल जी का 2/3 हिस्सा आता है। मैने दादाजी को नहीं देखा है। यादी के पिता का नाम भौलाराम जी है। भौलाजी का 1/3 हिस्सा नहीं था। मां ने कहा कि भौलाजी का एक बेटा मूलाजी है। गवाह ने शपथपत्र का पुरा खण्डन किया। हर बात मा पिताजी द्वारा बताया होना अंकित किया। तथा लिखित दस्तावेज के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। PW 3 भंवरलाल ने बताया नंदो जी को मैं जानता हूँ। नंदो जी मेरे दादाजी के पिता है। नंदो जी के बेटे सार्दुलजी थे। भौलाजी को जानता हूं। भौलाजी के पिता प्रभुजी है। सार्दुजी के दो बेटे भुरोजी व पुकोजी है। भुरोजी के एक बेटा चौलाजी है तथा पुकोजी के चार बेटे रूपाराम, राजाराम, भवरलाल, शान्तिलाल है। भोपाल जी को मैं नही जानता हू। भौपाजी हमारे परिवार के सदस्य नही है। भौपालजी सार्दुलजी के बेटे नही है। यह सही है कि परबूजी के हिस्से की जमीन भौलाजी के आती है। भौलाजी के हिस्से की जमीन मुलाजी के आती है। भौपाल सार्दुल जी बेटा नही है। गवाह भवंरलाल ने नजरी नक्श, शपथपत्र व दस्तावेज की ताईद नही की, जो खुद ने पेश किए। जबावदावा के विपरित बयान दिए। इस प्रकार प्रतिवादी भवंरलाल ने भी तनकी संख्या 1 का खण्डन किया जबकि स्पष्ट बताया कि मूलाराम भौलाराम का पुत्र हैं। तथा सार्दुलजी का बेटा नही है। तथा भोपाल परिवार का सदस्य नही है। भोपाली भी सार्दुल का बेटा नही है। नारायणलाल ने लिखित दस्तावेज के लिए प्रस्तुत किये, जिसका विवेचन तनकी संख्या 2 के समय किया जाएगा। मूलाबा के पिताजी का नाम भोपाल बा नहीं हैं मैंने जमाबन्दी में सार्दुल जी के पिताजी का नाम नंदाबा सुना है भोलाराम, भोपालराम सार्दुल जी के बेटे नहीं है गवाह से सवाल पुछा तो बताया कि भोलाराम सार्दुल जी के बेटा नहीं है यह सही है कि मेरे पिताजी का नाम पुखाराम है तथा पुखारामजी के 4 बेटे है जिनका पुखारामजी के हिस्से में 1/4–1/4 आना चाहिए यह सही है कि सार्दुल जी के दो बेटे भूरा व पुखा हैं, सार्दुल जी के फौत होने पर भुराजी व पुखाजी का 1/2–1/2 हिस्सा आना चाहिए मूला जी का 1/2 हिस्से में कब्जा है तो रहने दो। गवाह में झूठा बयान देकर सार्दुल जी का सगा भाई चुतराराम बताया जिसके बारे में सवाल पुछने पर अनभिज्ञत जाहिर की

उपखण्ड अधिकारी

इस प्रकार गवाह रूपाराम ने भी किसी प्रकार से उनकी संख्या का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया है, तथा प्रतिवादी शान्तिलाल DW 2 के द्वारा दस्तावेज को प्रदर्शित करवाया तथा शान्तिलाल ने बताया कि मेरी मां ने बताया कि सार्दुल जी का 2/3 हिस्सा आता है, मैंने दादाजी को नहीं देखा है। वादी के पिता का नाम भोला जी है, भोला जी का 1/3 हिस्सा नहीं था, मां ने कहा कि भोला जी का एक बेटा भूला जी ही है। गवाह ने शपथपत्र का पुरा खण्डन किया हर बात को माता पिता के द्वारा बताना बताया तथा दस्तावेज के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। DW 5 ढगलाराम ने बताया कि गवाह ने लिखा पढी के बारे में साल तिथि वार में अनभिज्ञता जाहिर की। गवाह ने पड़ौस गलत बताए, शपथपत्र के विपरित बयान दिए। लिखा पढी में कोई माप चौक नहीं, कोई बटवाड़ा नही। डगराराम को किसने बुलाया पता नही। प्रतिवादी ने मुझे शपथपत्र दिया तथा बताया कि इसे याद कर लो। तथा यह गवाह भी लिखित प्रदर्श 14 के बारे में विवेचन किया जाएगा। इस प्रकार समग्र रूप से विवेचन किया जाता है तो प्रदर्श 1 जमाबंदी मे वादी का हिस्सा 1/3 गलत है तो रूप से दर्ज किया है। बयान, वंशावली, पुराने दस्तावेज, मे नंदा जी के दो पुत्र सार्दुल जी व प्रभुजी है इसलिए सार्दुलजी का 1/2 हिस्सा, परबूजी का 1/2 हिस्सा आता है। तथा सार्दुल जी के फौत होने पर भुराजी का 1/4 हिस्सा पुकाजी 1/4 हिस्सा आना चाहिए तथा भूरा जी के फौत होने पर धौला पुत्र भूराजी का 1/4 तथा पूखाजी के फौत होने पर रूपा, राजा, भंवर और शान्ति का 1/4 हिस्सा है इसी प्रकार प्रभु जी के फौत होने पर भोला जी का 1/2 हिस्सा तथा भोला जी के फौत होने पर वादी मूलाराम का 1/2 हिस्सा आता है तथा वादी के फौत होने के कारण उनके वारिसान का 1/2 हक हिस्सा आ रहा है तथा वादी के वारिसान 1/2 हिस्से की खातेदारी व घोषणा प्राप्त करने के पैज नम्बर 12 अधिकारी है। इसी प्रकार प्रदर्श 2 में भी गलत रूप से 1/3–1/3 हिस्सा दर्ज है। सार्दुल पुत्र नंदा 1/2 हिस्सा, भौपाल पुत्र प्रभु 1/3 हिस्सा, राजस्व अधिकारीयों ने भोलाराम को मौपाल दर्ज कर गलती है। तथा नामान्तरण 102 में स्पष्ट अंकित किया। तथा सार्दुल के दो पुत्र भूरा व पुखा ही है। उसके बावजुद यादी की जमीन हड़पने हेतु भोपाल का नाम भोला तो सही कर दिया लेकिन परबू की सन्तान हिस्सा कम कर भौला पुत्र परबू 1/3 कर दिया। उक्त नाजायज कार्य करने का राजस्व अधिकारीयों को अधिकार नहीं था तथा वादी के पिता को गलत रूप से सार्दुल का पुत्र बताया व वंशावली में फौतेदगी म्यूटेशन गलत दर्ज किया। वादी 1/2 हिस्सा की घोषणा पाने को अधिकारी है। राजस्व अधिकारीयों ने विधि विरुद्ध तरीके से 1/3 हिस्सा दर्ज किया है। प्रदर्श 5 में भी सार्दुल पुत्र नंदा 1/2 व भौपाल पुत्र प्रभु 1/2 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

दर्ज है। तथा नामान्तरण संख्या 102 के राज्य बाद की जमाबंदी संख्या 2024 से 2025 मे गलत प्रविष्टी कर वादी का 1/3 हिस्सा गलत दर्ज किया है। तथा वादी के नाम नामान्तरण 137 के जरिये भी गलत रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज किया है। प्रदर्श 8 बन्दोबस्त का अवलोकन करे तब भी सार्दुल पुत्र नंदा 1/2 हिस्सा, भौला पुत्र परबू 1/2 हिस्सा दर्ज है। प्रदर्श 9 वंशावली से पूर्ण स्पष्ट है। इस प्रकार वादी ने तनकी संख्या 1 व 2 से साबित की है। वादी वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषणा करवाने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 व 2 को वादी के पक्ष में तय की जावे। तनकी संख्या 3 का भार प्रतिवादीगण पर रहा था, लिखित 04.11.1985 बिल्कुल गलत व फर्जी हैं। वादी के किसी प्रकार के हस्ताक्षर नहीं हैं प्रतिवादीगण के बयान भंवरलाल, शान्तिलाल, रूपाराम स्वंय ने उक्त दस्तावेज को उनकी उपस्थिति में निष्पादित होना नहीं बताया है, तथा मूल दस्तावेज भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ हैं। प्रदर्श 4 नामान्तरण 12.02.1967 को भरा जाना तथा प्रदर्श 4 में ही त्रुटि राजस्व अधिकारीयों द्वारा की गई थी, उसी समय से वादी का 1/2 हिस्से को 1/3 हिस्से में गलत दर्ज किया था। लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा 18 वर्ष बाद गलत दस्तावेज को प्रस्तुत किया है। जिसकी किसी प्रकार से सुसंगतता नहीं है, तथा दिनांक 04/11/1985 के आधार पर कोई नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण के गवाह DW 4 नारायणलाल ने उक्त इकरारनामा के बारे में पूर्ण अनभिज्ञता जाहिर की, तथा शपथपत्र के तथ्य C से K तक लिखाने से भी मना किया है, तथा गवाह DW 5 ढगलाराम ने भी उक्त लिखा पढ़ी के बारे में शपथपत्र में C से H को भी लिखाने से इन्कार किया है। तथा गवाह गोदाराम, कुकाराम न्यायालय में हाजिर तक नहीं हुआ है। इस प्रकार गवाह नारायणलाल, ढगलाराम के बयान तथा प्रतिवादीगण के बयानो से तनकी संख्या 3 को प्रतिवादी ने साबित नहीं की है। वादी के द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों, वादपत्र, शपथपत्र, वंशावली न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित दस्तावेज तथा प्रतिवादी से जिरह सम्पूर्ण पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर वादी ने तनकी संख्या 1 व 2 साबित की है। वादी वादग्रस्त सम्पति में बाई बर्थ 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा प्राप्त करना, मौके पर 1/2 हिस्सा कब्जा प्राप्त करना, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना, अलग से बंटवाड़ा करने हेतु वादपत्र डिक्री फरमाया जावे। प्रतिवादी ने तनकी संख्या 3 व 4 को साबित नहीं की है। इस प्रकार लिखित बहस प्रस्तुत कर सम्पूर्ण वादपत्र, दस्तावेज बयानो के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार कर वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री फरमाई जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

जवाब बहस मे अधिवक्ता प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने कुल खसरा 10 रकबा 4.1800 हैक्टर कृषि भूमि बाबत वाद बिल्कुल गलत व झूठा प्रस्तुत किया है, वादी के पिता भोला उर्फ भोपाल वल्द प्रभु का 1/2 हिस्सा होना वादपत्र में बिल्कुल ही गलत अंकित किया गया है। खातौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 में सादूल वल्द नंदा 1/2 भोपाल वल्द प्रभु 1/2हिस्सा गलत दर्ज किया गया है, जबकि ग्राम धुन्धला व सोजतरोड मे भोपाल वल्द प्रभू नामक कोई व्यक्ति था ही नहीं। वादी के शपथपत्र PW1 के पृष्ठ संख्या 2 की पंक्ति संख्या 2 में "और आधा हिस्सा मुझ वादी मूला के पिता भोपाल वल्द प्रभू का रहा" पंक्ति संख्या 6 मे, पंक्ति संख्या 8 से 10 मे "वादी मुझ मूला के पिता भोला वल्द प्रभु का आधा हिस्सा खातेदारी का था, मेरे पिता भोपाल वल्द प्रभु का आधा हिस्सा खातेदारी का था" बिल्कुल ही लिखा गया। जो वादी की जिरह से स्पष्ट है। वादी ने जिरह में यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि भोपाल नाम का कोई व्यक्ति प्रभु जी का बेटा नही था, जो ग्राम धुन्धला व सोजतरोड़ मे हो। आगे वादी ने जिरह में और भी अधिक स्पष्ट किया कि भोपाल वल्द प्रभु जी के नाम के मेरे पिताजी नही थें बल्कि भोला वल्द प्रभु जी थें। भोपाल गलत लिखा है, ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि भोला उर्फ भोपाल वल्द प्रभु, वादी के पिता भोपाल वल्द प्रभु बिल्कुल ही गलत लिखा गया है। सादुल जी का फौतेदगी नामान्तरणकरण प्रदर्श 3 बिल्कुल ही गलत भरा गया, जो स्वयं वादी भी स्वीकार करता है। तभी तो उक्त गलती दुरूस्त करते हुए सादुल का फौतेदगी नामान्तरणकरण प्रदर्श 4 भरा गया जो सही भरा गया। वादी का इस विवादित कृषि भूमि 1/3 हिस्सा खातेदारी हक है, तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक है, जमीन मौके पर बंटी हुई है, जवाब दावा के साथ प्रतिवादीगण ने मौके पर बंट अनुसार नक्शा प्रस्तुत किया है, जिसमें आसमानी रंग से दर्शायी हुई कृषि भूमि वादी, की लाल रंग से दर्शायी हुई कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 चोलाराम की तथा पीले रंग से दर्शायी हुई कृषि भूमि प्रतिवादीगण संख्या 02 से 05 के खातेदारी हक की कृषि भूमि दर्शायी गई है। वादी व प्रतिवादीगण इसी माफिक 55 वर्षो से पहले से काबिज काश्त है, प्रतितवादीगण संख्या 02 से 05 रूपाराम, राजाराम, भंवरराम उर्फ भंवरलाल व शान्तिलाल ने भी उनके पीले रंग की दर्शायी हुई जमीन का मौके पर बंटवाड़ा कर दिया है, इसी माफिक 55 वर्षो से अधिक समय से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 का वादग्रस्त कृषि भूमि के 2/3 हिस्से पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेवेन्यू रेकर्ड में कही तरह के इन्द्राज गलत दर्ज हुए है, उसी के उदाहरण स्वरूप खतौनी बन्दोवस्त 2010 से

2019 में इन्द्राज गलत दर्ज हुआ है, "सादुल जी व नंदा जी मृत्यु हुई तब नामान्तरण संख्या 20 दिनांक 12/04/1964 बिल्कुल ही गलत भरा गया" गलत लिखा है। नंदा जी के नाम खातेदारी की गाम भूखला या सोजतरोड में कभी कोई खातेदारी कि कृषि भूमि दर्ज ही नही हुई थी। सादुल जी के नाम खातेदारी दर्ज हुई थी तथा सादुल जी के फौतेदगी का नामान्तरण संख्या 20 दिनांक 27/12/1963 प्रदर्श 3 बिल्कुल ही गलत भरा गया जिससे गलत भरा जाना वादी स्वयं स्वीकार करता है। उसी गलती को दुरूस्त करते हुए उक्त नामान्तरण करण के बाद उक्त नामान्तरण करण को दुरूस्त करते हुए सादुल जीके फौतेदगी का और नामान्तरण करण संख्या 75 दिनांक 26/01/1967 भरा गया है, जो सही भरा गया उसमें भुरा पुत्र सादुल 1/3, पुखा पुत्र सादुल 1/3 तथा भोला वल्द प्रभु 1/3 सही भरा गया, भोला नामक सादुल का कोई पुत्र नही होने से उसका नाम नही भरना बिल्कुल सही था। भोला वल्द प्रभु का वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर ही कब्जा काश्त था। सादुल के नामान्तरण करण प्रदर्श 3 मे सादुल के तीन पुत्र भुरा, पुखा व भोला होना व उनका 1/2 हिस्सा खातेदारी का होना एवं भोपाल वल्द प्रभु का 1/2 हिस्सा खातेदारी होना गलत दर्ज किया गया था, वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादी के पिता भोला वल्द प्रभु का 1/3 हिस्सा ही होने से उसका 1/3 हिस्सा सही दर्ज किया गया था, इस प्रकार स्पष्ट है कि न तो वादी का पिता भोपाल वल्द प्रभु था, न ही वादगस्त कृषि भूमि में उसका 1/2 हिस्सा था न ही वादी का वर्तमान में भी वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा है। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि मे केवल 1/3 हिस्सा खातेदारी हक है, व 1/3 हिस्से पर ही कब्जा काश्त हैं। पक्षकारान के वंशावली के अनुसार न तो वादग्रस्त कृषि भूमि मे खातेदारी हक अर्जित हुए न ही पक्षकारान के वंशावली के अनुसार कब्जा काश्त था न है। वादी नंदा से अपनी वंशावली बता रहा है। जबकि नंदा को वादग्रस्त कृषि भूमि मे कोई हक व हिस्सा अर्जित ही नही हुआ। इस सम्बंध में आगे के पदो मे स्पष्ट विवेचन किया जा रहा है। वादी ने बिल्कुल ही गलत लिखा है कि उसने जून 2004 मे राजस्व रेकर्ड की नकले मंगवाई तब उसे पता चला कि उसका 1/3 हिस्सा गलत दर्ज हुआ है, जबकि वादी को पहले से ही इस सम्बंध में ज्ञान था, वादी ने स्वयं ने स्वीकार किया है, कि उसने पूर्व में भी इस कृषि भूमि के सम्बंध में अपने हक हिस्से बाबत वाद प्रस्तुत करवाया था, जो वाद खारिज हुआ तथा उस वाद को रेस्टोर करने हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उस पूर्व वाद के पद संख्या 7 में वादी ने जानकारी होने के सम्बंध में यह लिखा है "उक्त वाद का विनाय दावा दिनांक 15/12/1994 को प्रतिवादीगण द्वारा मुझ वादी को बेदखल करने की नाजायज

हरकतो करने पर एवं उपरोक्त भू प्रबंधक अभिलेख ऑपरेशन के अन्तराल में
इरकतो करने पर एवं उपरोक्त भू प्रबंधक अभिलेख ऑपरेशन के अन्तराल में

भू-माप संख्या साबिक 26 व 42 से मुझ वादी का 1/2 हिस्सा पर से विरुद्ध
विधि नियम तथा प्रक्रिया के प्रतिवादीगण द्वारा नाम हटा कर 1/3 हिस्सा
अंकित करने से एवं प्रतिवादीगण संख्या 06 द्वारा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1
से 5 के संयुक्त क्षेत्रफल को भी राजस्व रिकार्ड में कम इन्द्राज करवाने के कारण
वाद कारण उत्पन्न हुआ है।'' ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि वादी को इस तथ्य
की जानकारी दिनांक 15/04/1994 को हो चुकी थी, कि उसका वादग्रस्त कृषि
भूमि में 1/3 हिस्सा 1/2 हिस्से के स्थान पर दर्ज हो चुका है। वादी के
शपथपत्र के पद संख्या 3 मे लिखा है ''मैने पुनः 2004 मे राजस्व रेकर्ड नकल
मंगवाई तो वादी का पता चला कि राजस्व रेकर्ड मे वादी मुझ मूला का 1/2 के
बजाय 1/3गलत दर्ज हो गया है'' आगे लिखा है ''किन्तु इन्होंने दिनांक
15/07/2005 को गलत सुधार करवाने से मना कर दिया।'' जिरह मे वाद
कहता है कि '' सम्वत् 2026 मे मुझे पता चला कि मेरे पिताजी का 1/3 हिस्सा
गलत दर्ज हुआ है।'' आगे कहता है कि '' सम्वत् 2024 मे मेरे पिताजी के मृत्यु
के बाद जब मै छोटा था तब गांव वालो ने मुझे बताया था उस समय मेरे उम्र 12
से 13 वर्ष थी सम्वत् 2026 के समय वर्ष 1969 था सम्वत् व वर्ष के मध्य 57 वर्ष
का अन्तराल रहता है, स्पष्ट है कि वादी को सन् 1969 मे ही उसी के अनुसार
वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादी के पिता का 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज होने का
ज्ञान हो चुका था। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05वादग्रस्त कृषि भूमि में जवाब
दावा में दर्ज अनुसार 2/3 हिस्से पर 55 वर्षो से भी अधिक समय से निर्बाधरुप
से काबिज काश्त है, व अपने अपने अलग हिस्से पर काबिज काश्त है जिसकी
रेवेन्यू रेकर्ड से भलि भांति पुष्टी होती है, ऐसी स्थिति में वादी का यह वाद पूर्णतः
म्याद बाहर है, हर हालत में एडवर्स प्रजेशन से भी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05
वादग्रस्त कृषि भूमि के 2/3 हिस्से के खातेदारी हक के अधिकारी हो चुके है।
रेवेन्यू रेकर्ड मे यदि भोला का 1/2 हिस्सा खातेदारी हक दर्ज हुआ है तो भी
गलत दर्ज हुआ है। भोला वल्द प्रभु का वादग्रस्त कृषि भूमि पर 1/3 हिस्सा ही
खातेदारी हक हिस्सा था, और उन्होने इसी माफिक काश्त किया था, भोला वल्द
प्रभु के बाद वादी स्वयं 1/3 हिस्से पर ही काबिज काश्त है। गत भू प्रबंधसे पूर्व
भी वादी के पिता का महज 1/3 हिस्सा खातेदारी हक दर्ज था, न कि 1/2
हिस्सा। वादी भोला का भी केवल मात्र 1/3 हिस्सा दर्ज हुआ। प्रतिवादीगण 02
से 05 के पिता पुखा का भी 1/3 हिस्सा दर्ज था। प्रतिवादी संख्या 01 चोला का
भी 1/3 हिस्सा दर्ज था, जो पिछले 35 वर्षो से भी अधिक समय से रेकर्ड में
दर्ज है, जिसको अब चेलेंज नही किया जा सकता। वादी ने इसको चेलेंज करते

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

हुए पूर्व वाद राजस्व मूल वाद 112/94 (16/97) पेश किया जो दिनांक 18/07/2001 को खारिज हो चुका है। वादग्रस्त कृषि भूमि के कब्जा काश्त बाबत् एक लिखत दिनांक 04/11/1985 को लिखा गया था, जिसमें वादी के हस्ताक्षर है, वादी ने उसमें अपना 1/3 हिस्सा होना स्वीकार किया है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 का भी 2/3 हिस्सा होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति मे वादी अब इसे चेलेंज करने से स्टोप्ड है, इस तरह प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा में स्पष्ट अभिकथन किये है। वादी की लिखित बहस में पैरा संख्या 01 में दर्ज अनुसार 5 विवाद्यक बनाये गये थें, व लिखित बहस के पद संख्या 02 अनुसार वादीगण ने सात गवाहान के बयान कलमबद्ध करवाये तथा प्रदर्श संख्या 01 से लगाकर प्रदर्श संख्या 09 प्रदर्शित करवायें है। वादी के गवाह PW1 मूलाराम का शपथपत्र में महज वादपत्र की पुनरावर्ती की गई है। उसने यह नही बताया है कि वादी मूलाराम के पिता भोला वल्द प्रभु का फौतेदगी म्यूटेशन किसने भरवाया जबकि भोला वल्द प्रभु का नामान्तरण करण प्रविष्ठी संख्या 137 स्वयं वादी ने भरवाया है। वादी ने जानबूझकर उसके पिता भोला वल्द प्रभु का नामान्तरण करण न तो प्रस्तुत किया है न ही प्रदर्शित करवाया है, प्रतिवादीगण ने भोला वल्द प्रभु का नामान्तरण करण प्रस्तुत किया है, जो प्रदर्श EXD17 है। वादी के शपथपत्र में "मुझ मूला ने प्रतिवादीगण को इसके बाद लगातार त्रुटि दुरूस्त करवाने का कहता रहा किन्तु उन्होनें दिनांक 15/07/2005 को गलत सुधार करवाने से मना कर दिया" गलत लिखवाया है। जो वादी द्वारा प्रस्तुत किये गए पूर्व वाद राजस्व मूल वाद संख्या 16/97 प्रदर्श D3 एवं पूर्व वाद की आदेशिका प्रदर्श D2 से स्पष्ट है, वादी ने स्वयं ने पूर्व वाद प्रस्तुत करना अपनी जिरह में स्वीकार किया है। वादी में अपने शपथपत्र में वादग्रस्त कृषि भूमि में अपना 1/2 हिस्सा होना व 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होना बिल्कुल ही गलत लिखवाया है। वादी ने अपने शपथपत्र में दस्तावेज, खसरा नम्बर और रकबा का उल्लेख किया है, किन्तु शेष जिरह में उसने स्वीकार किया है "मुझे केवल हस्ताक्षर करना आता है, मुझे जमाबंदी व प्रदर्श के बारे मे पता नही चलता है।" वादी ने अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से बताया है "सादुल जी कब गुजरे उसे पता नही लगभग 50 साल हो गये। वे गुजरे तब मैं लगभग एक डेढ साल का था। सादुल जी को मैने देखा नही याद नही है। मैंने दावे में सादुल जी की मृत्यु की तारीख का उल्लेख नही किया है। सादुल जी के नाम से म्यूटेशन फौतेदगी किस तारीख को पेश किया मुझे याद नही है। सादूल जी की मृत्यु के बाद फौतेदगी म्युटेशन एक ही भरा गया होगा। मेरे सामने सादुल जी का फौतेदगी म्युटेशन नही भरा गया।" तो अब वादी किस आधार पर सादुल जी का फौतेदगी म्युटेशन चेलेंज

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

कर सकता है। वादी मूलाराम के बयान हेतु जो मुख्य परीक्षण न्यायालय में करवाया गया उसमें जो प्रदर्श लगाये गये है, उन प्रदर्शो के बावत् वादी ने अपनी जिरह में जानकारी नही होना बताया है। केवल प्रदर्श 3 व 4 म्युटेशन होना वादी ने अपनी जिरह में बताया है, जो दोनों म्युटेशन सादुल जी के है। वादी ने अपनी जिरह मे प्रतिवादीगण द्वारा कथित तथ्य कि भोपाल नामक कोई व्यक्ति ग्राम में नही था यह स्वीकार करते हुए कहा है कि "भोपाल नाम का कोई व्यक्ति प्रभु जी का पुत्र नही था, भोपाल वल्द प्रभुजी के नाम से मेरे पिता जी नही थे, भोपाल गलत लिखा है।" आगे वादी ने जिरह मे यह भी कहां है कि "जमीन की नकले मेरे बेटे ने करीब 15 –16 साल पूर्व निकलवायी", वादी अपनी जिरह में भी यह स्पष्ट रूप से यह नही बता सका है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा कहां से कहां तक स्थित है। केवल उसने यह रटी रटाई बात बताई है कि उसके वादग्रस्त कृषि भूमि पर 1/3 हिस्सा न होकर 1/2 हिस्सा उसका खातेदारी हक कब्जा काश्त है। वादी ने जो जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061 प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित करवायी है उसमें वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक दर्ज है, प्रदर्श 2 के रूप में जो खसरा मिलान पत्रक जिसे वादी ने मिलान बरोबस्त लिखा है, उसमें भी वादी का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक दर्ज है। वादी ने प्रदर्श 3 के रूप में जो नामान्तरणकरण प्रदर्शित करवाया है, वह बिल्कुल ही गलत भरा गया था। जिसे दुरूस्त करते हुए पुनः नामान्तरणकरण सादुल का भरा गया जिसे वादी ने प्रदर्श 4 के रूप में प्रदर्शित करवाया है, जिसमें भुरा पुत्र सादुल का 1/3 हिस्सा, पूखा पुत्र सादुल का 1/3 हिस्सा, वादी के पिता भोला वल्द प्रभु का 1/3 हिस्सा था स्पष्ट रूप से कॉलम संख्या 11 में दर्शाया गया है, तथा इसका कारण कॉलम संख्या 14 व कॉलम संख्या 16 में स्पष्ट रूप में दर्शाया गया है। वादी ने जो प्रदर्श 5 के रूप में खतौनी बन्दोबस्त प्रदर्शित करवायी है, उसमे सादुल वल्द नंदा 1/2 व भोपाल वल्द प्रभु का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हुआ है। जो वादी के शपथपत्र व जिरह से स्पष्ट है। इस प्रकार भोपाल वल्द प्रभु का 1/2 हिस्सा गलत दर्ज हुआ है। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत् 2019 से 2022 जिसे वादी ने प्रदर्श 6 के रूप में प्रदर्शित करवाया है, उसमें भी सादुल वल्द नंदा का 1/2 हिस्सा, भोपाल वल्द प्रभु का 1/2 हिस्सा इन्द्राज गलत हुआ है, इसी गलती को सादुल जी के फौतेदगी म्युटेशन प्रदर्श 4 द्वारा दुरूस्त कर दिया गया था। वादी ने प्रदर्श 7 के रूप में जो जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027 प्रदर्शित करवायी है, उसमें भी वादी के पिता भोला वल्द प्रभु का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक दर्ज है। वादी ने सम्वत् 2028 से 2031, सम्वत् 2042 से 2045 तक की जमाबंदी प्रस्तुत की है, जिनमें भी वादी के पिता भोला वल्द प्रभु का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक

उपखण्ड अधिकारी,

दोना दर्शाया गया है। जिनको वादी ने प्रदर्शित नही करवायी है। परन्तु इन दोनों जमाबंदी को भी प्रतिवादीगण की ओर से एडमिट किया गया है। वादी ने प्रदर्श 8 के रूप में खसरा बन्दोबस्त प्रदर्शित करवाया है, जिसमें भी गोपाल वल्द प्रभु का नाम बिल्कुल ही गलत दर्ज हुआ है, गोपाल वल्द प्रभु नाम का कोई व्यक्ति धुन्धला ग्राम में था ही नही। उसे पुराने नये खसरा मिलान के रूप में प्रतिवादीगण की ओर से स्वीकार किया गया है। वादी की ओर से प्रदर्श 9 के रूप में राव जी की वंशावली के रूप में प्रदर्शित करवायी गयी है, जो वंशावली विधि अनुरूप अधिकृत राव के द्वारा बनाई हुई नही है, तथा उक्त वंशावली को विधिवत रूप से साबित नही किया गया है। वंशावली के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि मे पक्षकारान के हिस्से उद्‌भूत नही हुए है। वादी ने जो गवाह PW2 के रूप में प्रस्तुत किया है उसके शपथपत्र पर न तो दिनांक अंकित है न ही उक्त शपथपत्र नोटेरी से या किसी शपथ आयुक्त से तस्दीक करवाया हुआ है। जो इस शपथपत्र में शपथकर्ता द्वारा तस्दीक की गई है, वह भी शपथपूर्वक नही की गई है। ऐसी स्थिति में उसका शपथपत्र मुख्य परीक्षण के रूप में कतई ग्राह्य नही है। यह लिखना बिल्कुल गलत है कि "गवाह ने सम्पूर्ण कृषि भूमि की दिशा तथा कहा कहा पर कब्जा व पड़ौस भी बताये है" गवाह यह बताने मे कतई सफल नही हुआ मूलाराम जी का 1/2 हिस्सा 35–40 साल से कैसे देख रहा है। उसके शपथपत्र मे स्पष्ट रूप मे कृषि भूमि के खसरा नंबर लिखे हुए है परन्तु वह जिरह में कहता है "मूलजी के खेत के खसरा नंबर याद नही है, खसरा कितने है नही बता सकता तीन टुकड़े है कुल रकबा 26 बीघा की जमीन है, रकबा क्या है मैं पढा लिखा नही हूं इसलिए रकबा व हैक्टर के बारे में नही जानता हूं।" वह अपनी जिरह में यह नही बता सका है कि वादी प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के किस किस टुकड़े पर काबिज है। इसने जो भी बताया है उसके बारे अपने जिरह में स्पष्ट कहा है "नापा नही अन्दाज से सुनी सुनी बात कहता हू। इनके खेत वाले कहते है कि कुल भूमि 26 बीघा है, मैने नापी नही है।" इस प्रकार यह गवाह केवल सुनी सुनी बात ही कह रहा है। वादी ने प्रतापराम पुत्र मंगलाराम जाति मेघवाल को PW3 के रूप में प्रस्तुत किया है, तथा रावताराम पुत्र प्रभुराम को PW4 के रूप, में बुद्धाराम पुत्र श्री खोजाराम को PW5 के रूप में एवं चम्पालाल पुत्र छोगाराम को PW6 के रूप में तथा राजुसिंह पुत्र नेनराम को PW7 के रूप में प्रस्तुत किया है। PW2, PW3, PW4, PW5 व PW7 के शपथपत्र बिल्कुल एक जैसे एक ही प्रारूप में तैयार किये गये है। केवल गवाहान नाम व पिता का नाम जाति व निवास स्थान का परिवर्तन किया गया है। गवाह PW3 के बारे मे लिखा है "गवाह मकान बेरा कृषि भूमि तथा भोलाराम जी

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (पाली)

के बारे मे जानकारी का आधा हिस्सा नही आता।" इससे क्या मतलब निकलता है स्पष्ट नही है मूलाराम का 1/2 हिस्सा आना गलत लिखा है। PW3 जिरह में कहता है "खसरा नंबर क्या है मै पढा लिखा नही हूं मुझे याद नही। खसरा शपथपत्र मे लिखाये हुए होंगे। यह जमीन कितने हैक्टर है मुझे पता नही मूलाराम जी कहते है कि 12–13 बीघा जमीन आती है। कुल कितने बीघा जमीन आती है मै नही बता सकता। शपथपत्र में हैक्टर या बीघा लिखाया हुआ होगा तो मुझे ध्यान नही। मूलाराम जी के दादा का नाम नही जानता उनके पिताजी का नाम जानता हूं। दादा जी का नाम शपथपत्र में लिखाया होगा। इनके दादाजी को मैने नही देखा। मौके पर बंटवाड़ा नही हुआ है।" आगे यह कहता है कि "म्युटेशन के बारे मे मैने शपथपत्र में लिखाया मै पढा लिखा नही हूं मुझे याद नही है की क्या लिखवाया था। म्युटेशन कब भरा मुझे ध्यान नही मेरे सामने म्युटेशन नही भरा गया।"आगे यह कहता है कि"मैने जगाबंदी आदि रेकर्ड नही देखा।" आगे यह भी कहता है कि "यह कहना गलत है रेकर्ड में मूलाराम जी का भी 1/3 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार इस गवाह को न तो यह ध्यान में है कि उसने शपथपत्र मे क्या लिखवाया न ही यह ध्यान है कि किसका कितना हिस्सा रेकर्ड दर्ज है। गवाहन ने जिरह मे यह भी बताया है कि उसने इस जमीन पर काश्त नही की गवाह मूलाराम जी का 30–35 साल से कब्जा काश्त देखते आने का कोई कारण नही बताता है। केवल यह गवाह रटी रटाई बात ही वादी के कहने से कह रहा है। PW4 रावतराम के बारे लिखित बहस में वादी की ओर लिखा गया "विवादित जमीन में भोला जी की भौतिक स्थिति भी गवाह बताता है" स्पष्ट नही है। अपनी जिरह गवाह कहता है "जमीन के ख.न. अनपढ होने से ध्यान मे नही शपथपत्र मे ख.न. बताये है जो सही है। मैने खसरा नंबर लिखा है लेकिन याद नही है। ख. नं. उस समय याद थे। ख.नं. डायरी वगैरमे देखे आखो से देखे मैं अनपढ हूं पढ नही सकता। दूसरों ने ख.न. नही बताये। रात दिन देखता हूं। जमीन कितने हैक्टर मुझे याद नही। हैक्टर ध्यान नही पड़ता है। कुल जमीन 26 बीघा है इस जमीन मे मूलाजी का आधा बंट है। चुन्दड़ी बंट के रूप में मूलाजी का हिस्सा है।" इस प्रकार यह गवाह शपथपत्र की भी ताईद नही करता है। चुन्दड़ी बंट होना केवल यही गवाह बताता है। यह गवाह इस तथ्य को स्वीकार करता है कि "म्युटेशन भोलाजी के मरने के बाद भरा गया था पटवारी जी ने भरा मूलाजी ने भरवाया।" बाकी बात गवाह वादी मूलाजी के कहनेनुसार वादी रटी रटाई बात कह रहा है। मौके पर विवादित भूमि मे क्याक्या बना हुआ है, इस सम्बंध मे पूर्व के गवाह के बताई गई बात की ताईद नही करता है। PW5 गवाह बुद्धाराम अपनी जिरह मे कहता है कि "सिसारवादा रोड़ पर जमीन आई हुई है जिसके

सम्बंध में बयान देने आया हूं जिराके खसरा नंबर मुझे पता नही तथा मैं नही जानता। जमाबंदी व कही भी मैने खसरा नंबर नही देखे। मैने शपथपत्र लिखवाया जिसमें खसरा नंबर नही लिखवाये। मैने देखा ही नही तो मैं कैसे लिखवाउ। यह कहना गलत है कि शपथपत्र मैने नही लिखवाया उक्त जमीन पर मकान बना हुआ और रसोई ट्यूबेल बना हुआ है। कुल खसरे कितने मुझे पता नही। कुल जमीन कितना हैक्टर है पता नही मैने शपथपत्र में भी हैक्टर नही लिखवायें।" इस प्रकार गवाह शपथपत्र की ताईद नही करता है। इस गवाह ने वादग्रस्त जमीन के बंट के पड़ौस भी गलत बताये है। यह गवाह यह भी नही बता सका है भोलाराम, पुखाराम, चोलाराम कब चले यानि कब गुजरे यह आगे बताता है कि व किसी के दाग में नही गया मौके पर क्या क्या बना हुआ है इसके सम्बंध में भी यह नही बता सका है व पूर्ण सत्य नही बता सका है। इस गवाह का मौके पर आना जाना इसके बयान से ही साबित नही हो रहा है। आगे यह गवाह और कहता है कि "और आगे खुली जगह पड़ी है, मैं बड़ीये(मजदुरी) तब सुनते है कि यह जमीन 26 बीघा है और 13 बीघा जमीन मूलाराम के बंट में आती है। मौके पर बंटवाड़ा हुए अन्दाज से 15–20 वर्ष हो चुके है। फिर कहा कि 20 वर्ष के उपर हो चुके है। बंटवाड़ा हुआ जब मैं मौके पर मौजूद नही था। पास के बेरे पर मजदूरी करता था और बेरा कारीगरों का था कारीगरों व मूलाबा के बेरे के बीच मे 4 बीघा जमीन है। कारीगरों के बेरे पर मैं मजदुरी करता था उस समय मैं निदान–पाली कर रहा था।किन कारीगरों का बेरा था मैं नही जानता एक हिम्मताराम कारीगर को जानता हूं उनके यहां मैं मजदूरी करता था।" इस प्रकार यह गवाह केवल सुनी सुनाई बात के रहा है। बाकी बात व मनमनर्जी की बात लिखवा रहा है, उसमें शपथपत्र में लिखवाई गई बात की ताईद नही करता है। PW7 गवाह राजूसिंह भी अपनी जिरह में कहता है कि "बेरे के पास जमीन के ख.न. क्या है मै बता नही सकता अनपढ हूं। शपथपत्र में खसरा नंबर लिखाया या नही मुझे ध्यान नही। इस जमीन का कुल रकबा कितना है अन्दाज से 25 बीघा होगी। रकबा मुझको ध्यान नही पड़ता है। हैक्टर मुझे ध्यान नही पड़ता है। चोलाराम शान्तिया वगैरा का कितना हिस्सा है मुझ ध्यान नही। मूलारामजी का 1/2 हिस्सा आना चाहिए ये पिताजी के एक लड़के है शपथपत्र के रकबा मूलाराम जी के 24–25 बीघा रकबा लिखाया है" आगे जाकर कहता है कि "मूलाराम जी के दादा जी का नाम क्या है मुझे पता नही। मैंने मूलाराम जी के पिताजी व दादाजी को नही देखा है। मूलाराम जी के दादाजी का कितना हिस्सा है मुझे पता नही। मैंने उन्हे भी नही देखा। पुखा s/o सादुल को मैने नही देखा मैं नही पहचानता। पुखा s/o सादुल का कितना हिस्सा है मुझे मालूम नही।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

शपथपत्र में भी मैने नही लिखवाया है। मौके पर बंटवाडा मेरे सामने नही हुआ पहले हुआ हुआ होगा। मेरे सामने नही हुआ बंटवाडा कब हुआ मुझे ध्यान नही है। कुल कितने खसरे मैं नही बता सकता ध्यान नही है। मूलारामजी के किस किस खसरे में कब्जा है मुझे पता नही। मूलाराम जी अपनी जमीन में तीली बाजरी जवार गेहूं रिजगा रायडा आदि की फसल बोते है दो फसल लेते है।" इस प्रकार यह गवाह अपने शपथपत्र की भी बिल्कुल ही ताईद नही करता है। गवाह बाकी बाते भी रटी रटाई वादी के कहे अनुसार लिखवा रहा है। वादी ने जानबूझकर गवाह PW6 चम्पालाल पुत्र छोगाराम का ना तो अपनी लिखित बहस के पद संख्या 02 में गवाह की सूची में नही लिखा है। न ही इस गवाह के बयान का विवेचन किया है। यह गवाह न तो वादी व प्रतिवादीगण के पक्षकारान का राव है, न ही ये राव के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इस गवाह ने अपने शपथपत्र में बही में क्या लिखा है व किस निरन्तरता में लिखा है इसके पूर्व में राव कौन था तथा इसके पूर्व की बहीया उसके पास किस राव से प्राप्त हुई कुछ भी नही बताया है। केवल मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने वादी मूलाराम जी की बनाई हुई वंशावली मूल बही से मिलान कर बनाई हुई होना बताया गया। जिसे प्रदर्श 9 के रूप में प्रदर्शित करना बताया गया है। यह वंशावली वादी के कहने के अनुसार साजिश कर तैयार की गई वंशावली है। गवाह जिरह मे बताता है "वंशावली की बही आज में नही लाया हूं उसकी चौपड़ी लाया हूं। चौपड़ी में प्रदर्श 9–A है" यानि वंशावली की बही अलग व चौपड़ी अलग है। आगे गवाह यह कहता है "इसी बही में लगातार 23 पन्ने भरे हुए है" आगे कहता है "यह बात सही है प्रदर्श 9–A पर बनाई वंशावली के अनुसार 23 पन्नों मे नही बनाई गई है। इस वंशावली में दोनो साईड के 248 पेज खाली छोड़कर प्रदर्श 9–A दर्ज किया है। यहा पर मूलाराम जी के परिवार की पीढ़ीया एक साथ ली गई। हमारे सुविधा के अनुसार एक साथ पीढ़ी बनाते है तब ऐसा लिखते है इस बही में 22 पेज मेरे बडेरों के हाथ के लिखे है। मेरे पिता छगनलाल जी व उनके पिताजी के हाथ से लिखे हुए है। तथा उनके बाद मेरे बड़े भाई के हाथ से लिखी गई है। पहले 1–7 पेज मेरे पिताजी के व बाद के सभी पेज मेरे बड़े भाई के हाथ के है। मै भी बही लिखने का काम करता हूं। इस बही में मेरे हाथ की लिखावट नही है। धुन्धला गावं के जाजड़ा जाति की वंशावली हमारे पूर्वजों द्वारा ही लिखी जाती है, जो दूसरी बही में है। इस बही में केवल पीढी बनाई हुई है। इस बही में केवल पीढ़ी है। इस बही में मूलाजी के परिवार के अलावा अन्य की पीढीया दूसरी बही में लिखी है। दूसरी बहीयों में मूलाजी के परिवार की पीढीया लिखी रहती है बोवहीया मेरे भाईयों के पास है। बाबुलाल जी थे जो गुजर गये है। अब

सहायक कलक्टर
सोजत (राज.)

बाबूलाल जी बहु के पास बहीया है, जो जोधपुर रहते है। वे मुझे बहीया नहीं देती है दिखा सकती है। प्रदर्श 9–Λ मेरे हाथ की लिखी हुई है।" गवाह आगे कहता है "प्रदर्श 9 मेरी कलमी है। प्रदर्श 9–Λ भी मेरी कलमी है। प्रदर्श 9 की लिखावट व प्रदर्श 9–Λकी लिखावट मे फर्क है जिसका कारण प्रदर्श 9–Λ हमारे राव जी की भाषा मे लिखा जाना है।" प्रदर्श मूल दस्तावेज पर लगाया जाता है, एवं उसकी पत्रावली पर फोटो स्टेट प्रतिलिपी पर प्रदर्श Λलगाया जाता है। प्रदर्श 9 एवं प्रदर्श 9–Λभिन्न भिन्न दस्तावेज है, जो संदेह पैदा करता है इस प्रकार इस गवाह के अनुसार वह केवल प्रदर्श 9–Λमूलाराम के परिवार की पीढी बनाकर लेकर आया है। यह स्पष्ट कहता है कि वंशावली की बही दुसरी है उसमे वंशावली उसके हाथ की लिखी हुई नही है व बही भी उसके पावर व पजेशन में नही है। केवल वंशावली प्रदर्शित करवाने से यह साबित नही हो जात की गवाह मुक्कारान का राव है। राव के पास परिवार के किसी व्यक्ति के देहान्त होने पर उसके फूल विसर्जित करने हेतू फूल लेकर कर कौन आया, कब आया और परिवार के उस समय कौन कौन व्यक्ति है, उसका पूरा विवरण भाट की बही मे भाट के द्वारा उल्लेखित किया जाता है, केवल वंशावली नही बनाई जाती है। फिर भी यह गवाह कहता है कि मूलाराम जी के वंशावली में भोपाल वल्द प्रभुजी के नाम का कोई व्यक्ति नही है। इस प्रकार तो यह गवाह प्रतिवादीगण के कथन की ताईद करता है। यह गवाह आगे जिरह मे स्पष्ट कहता है कि "हमें खेती की जमीन से कोई लेना देना नही है। फिर कहा जमीन भँसाणा व सिसरवादा रोड़ पर जमीन है। खसरा नंबर व कितने खसरे है मुझे याद नही कितने बीघा जमीन है ध्यान नही है। आस पड़ौस मे किसकी जमीन है मुझ ध्यान नही है। मैं वंशावली का काम करता हूं। मैं हर तीसरे साल इनके बेरे पर जाता हूं। यही बही ले जाता हूं। वंशावली बचाते तो ले जाता हूं नही तो सीख लेकर आता हूं। जमीन पर मौके पर किसका कितना हिस्सा मैं नही बता सकता।" फिर आगे यह बिल्कुल गलत कह देता है कि वंशावली के आधार पर 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार यह गवाह अपने स्वयं के बयान विपरित वादी के कहने से 1/2 हिस्सा होना बता देता है पर यह नही बताता है कि 1/2 हिस्सा किसका है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा में किये गये कथन बिल्कुल सही किये है, तथा भले ही विवाध्यक संख्या 04 पर आदेश कर विवाध्यक संख्या 04 का निस्तारणप्रतिवादीगण के विरूद्ध राय कर रेसज्युडिकेटा के आधार पर वादी का वाद खारिज नही किया गया हो। फिर भी यह तो स्पष्ट रूप से साबित है कि वादी को वादग्रस्त कृषि भूमि पर रेवेन्यू रेकर्ड में 1/2 हिस्सा दर्ज न होकर 1/3 हिस्सा होने का ज्ञान जून 2004 में वादपत्र की नकले मंगवाई तब न होकर के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

कहा कि वादी मूलाराम ने पूर्व वाद प्रदर्श D3 दिनांक 13/12/1994 के पद संख्या 06 मे लिखा है "अभी कुछ दिन पूर्व प्रतिवादीगणो द्वारा मेरे हिस्से की भूमि मे दखल अन्दाजी करके मुझे बेदखल की नाजायज कोशिशो किये जाने" एवं पद संख्या 07 मे विनाय दावा दिनांक 15/12/1994 को पैदा होना एवं अपनी जिरह मे कहना "सम्वत् 2026 मे मुझे पता चला कि मेरे पिताजी का 1/3 हिस्सा गलत दर्ज हुआ है। सम्वत् 2026 में कौनसा वर्ष हो मुझे ज्ञात नही है, सम्वत् 2024 मे मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद जब मैं छोटा था तब गांव वालो ने मुझे बताया था उस समय मेरी उम्र 12 से 13 वर्ष थी।" वर्ष एवं सम्वत् 57 वर्ष का अन्तराल होता है, इस आधार पर सम्वत् 2026 में वर्ष 1969 था, यानि उसे वर्ष 1969 मे ही उसके पिता के 1/3 हिस्सा के दर्ज होने के सम्बंध मे जानकारी हो चुकी थी। इस प्रकार वादी ने वादपत्र के पद संख्या 02 में मार्क ए से बी भाग बिल्कुल ही गलत लिखवाया हैं। जबकि वादी जिरह मे कहता है "ए से बी भाग सही लिखाया है", वादी ने अपने बयान मे आपस मे विरोधाभाषी कथन किये है। वादपत्र का ए.से बी भाग ही इस वाद का मूल आधार है इसी आधार पर वादी ने वादपत्र के पद संख्या 05 में विनाय दावा दिनांक 15/07/2005 को पैदा होना बताया है जो कि बिल्कुल गलत बताया है। इस वाद का विनाय दावा दिनांक 15/07/2005 को पैदा न होकर वादी के स्वयं के कथनानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद प्रदर्श D3 के अनुसार स्वीकृत रूप से दिनांक 15/12/1994 को व जिरह के अनुसार सम्वत् 2026 वर्ष 1969 को ही पैदा हो चुका था। इस प्रकार वादी का यह वाद जाहिरा रूप से म्याद बाहर है। जिसका विवेचन है स्पष्ट रूप से पूर्व के पदों में किया जा चुका है। अब प्रतिवादीगण के जिम्मे की विवाध्यक संख्या 03 व 05 अनुतोष रहा है। प्रतिवादीगण ने वादी के विवाध्यक संख्या 01 व 02 का भलिभांति खण्डन किया है तथा अपने जिम्मे का विवाध्यक संख्या 03 को भलिभांति साबित किया है। प्रतिवादीगण ने अपने साक्ष्य मे निम्न गवाहान के बयान करवाये है:– DW1 रूपाराम पुत्र पुखाराम जी जाति जाट उम्र 62 वर्ष DW 2 शान्तिलाल पुत्र पुखाराम जी जाति जाट उम्र 41 वर्ष DW3 भंवरलाल पुत्र पुखाराम जाति जाट उम्र 55 वर्ष, DW4 नारायणलाल पुत्र डगराराम जाति मेघवाल उम्र40 वर्ष DW5 ढगलाराम पुत्र आईदानराम जाति जाट उम्र 50 वर्ष प्रतिवादीण की ओर दिनांक 16/07/2009, 26/02/2016 एवं 17/03/2016 को फहरिस्त के साथ प्रलेख पेश किए गये है जो रेकर्ड पर लिये गये है। एवं अपने समर्थन में निम्न प्रलेख प्रदर्शित करवाये है। प्रदर्श D1 जवाबदावा के संलग्न नक्शा, प्रदर्श D2 पूर्व राजस्व मूल वाद 16/97 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपिया, प्रदर्श D3 पूर्व राजस्व मूल वाद 16/97 की

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (अलवर)

प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श D4 उक्त राजस्व मूल वाद में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 द्वारा प्रस्तुत वादोत्तरकी प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श D5 उक्त मूल वाद में बनी हुई तनकीयात की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रदर्श D6 उक्त वादोत्तर प्रदर्श D4 के संलग्न नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श D7 उक्त मूल वाद मे वादीगण की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श D8 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027, प्रदर्श D9 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031, प्रदर्श D10 प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरणकरण पंजीका फौतेदगी भोला, प्रदर्श D11 प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा मिलान पत्रक पन्ने 10, प्रदर्श D12 प्रदर्श D12A भू प्रबंध विभाग प्रमाणंकान के लिए पर्चा नोटिस सहित, प्रदर्श D13 प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरणकरण पंजीका प्रवृष्टि संख्या 39 भूरा व पुखा के फौतेदगी का, प्रदर्श D14 फोटो स्टेट प्रतिलिपि लिखत एक हम तीनों भाई चोलाराम S/0 भूरजी, रूपाराम S/0 पुखजी मूलाराम S/0 भोलाजी जाट ग्राम धुरधला वालो का (धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदर्शित कराने की अनुमति दी गई), प्रदर्श D15 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत् 2042 से 2045, प्रदर्श D16 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 प्रदर्श D17 प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरणकरण प्रवृष्ठि संख्या 137 विरासत फौतेदगी भोला (एवीन) DW 1 रूपाराम ने अपने शपथपत्र में वादपत्र के ताईद करते हुए कुल कृषि भूमि 36 बीघा होना, बीच में डामर सड़क निकली हुई होना उसमें उसके दादा सादुल का 2/3 हिस्सा कब्जा काश्त होना जो उसके पिता पुखाराम जी व बड़े पिता उसके पिता पुखाराम जी के बड़े भाई भुराराम जी को विरासत मे मिलना वादी के पिता भोलाराम जी का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक होना बचपन से ही वादग्रस्त कृषि भूमि पर समझ आने के बाद से पिता पुखाराम जी के साथ आने जाने लगना वहां पर पानी पिलाने का काम व पशुओं को चारा पानी देने का काम करना वादग्रस्त कृषि भूमि के 2/3 हिस्सो पर उसके पिता व बड़े पिता को तथा 1/3 हिस्से पर भोलाराम जी को काश्त करते करवाते देखना वादी के पिता का नाम भोपाल नही होकर भोलाराम जी होना, भोलाराम जी का प्रभुराम जी का बेटा होना, वादी के पिता भोलाराम जी, गवाह रूपाराम के बड़े पिता भुराराम जी व उसके पिता पुखाराम जी तीनों का सगे भाईयोकी तरह एक साथ रहना तथा तीनो का बराबर बराबर 1/3 हिस्से अनुसार काश्त करते रहना, बचपन से ही वादी का बैंगलोर खाने कमाने चले जाना, नामान्तरण संख्या 75 दिनांक 12/02/1967 वादी के पिता भोलाराम जी के द्वारा भरवाया जाना बताया है। उसका कारण उसका परिवार में भोलाराम जी का बड़े व समझदार होनो एवं

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

परिवार की देखरेख व परिवार के निर्णय स्वयं लेना बताया है। प्रतिवादी रूपाराम DW1 द्वारा भोलाराम जी व उसके पिता पुखाराम जी व बड़े पिता भुराराम जी द्वारा उसे कई बार सादुल जी उसके दादा के फौतेदगी म्युटेशन के बारे में बताया जाना, उस समय सम्वत् 2024 चला रहा होना तथा उस सम्वत् 2024 में ही सादुल जी के म्युटेशन भराने के कुछ समय बाद ही भोलाराम जी की मृत्यु हो जाना, भोलाराम जी गुजरे तब उसकी उम्र 13 वर्ष होना और 09 वर्ष का हुआ तब उसे समझ आ जाना, वादी के पिता भोलाराम जी गुजरे तब वादी की उम्र 15 वर्ष होना तथा भोलाराम जी के गुजरने के बाद वादी का वापिस बैंगलोर नही जाना, उसके बड़े पिता व उसके पिता द्वारा वादी को गांव मे ही रोक दिया जाना, वादी की सगाई, शादी व गौणा जिम्मेदारी उसके पिता व बड़े पिता द्वारा निभाना वादी के बालिक होने के बाद जब वह 20 वर्ष का हुआ, तब वादी के पिता भोलाराम जी का फौतेदगी म्युटेशन भोलाराम जी के मृत्यु के 05 वर्ष बाद वादी के खुद के द्वारा ही भरवाया व पास करवाया जाना वादी स्वयं द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में उसका 1/3 हिस्सा होना स्वीकार करके ही उसके पिता का फौतेदगी म्यूटेशन भरवा कर पास करवाना, भोलाराम जी के मृत्यु के 05 साल बाद सम्वत् 2029 में उसके बड़े पिताजी भुराराम जी की मृत्यु होना उसके बाद भुरारान जी के वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से के कब्जा काश्त भुराराम जी के पुत्र चोलाराम प्रतिवादी संख्या 01 का होना, उसके पिता पुखाराम जी की मृत्यु सम्वत् 2036 में हो जाना व उसके पिता के वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त उसका उसके भाई राजाराम, शांतिलाल एवं भंवरराम उर्फ भंवरलाल का हो जाना, उसके 01 वर्ष बाद में वादी का उसके पिता व बड़े पिता के परिवार से अलग हो जाना तथा उस समय वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर 1/3 हिस्सा वादी को अलग दे दिया जाना व जवाब दावे के साथ बंटवाड़े का नक्शा नत्थी करके पेश करना उसमें उसका,उसके भाई राजाराम, शांतिलाल व भंवरराम उर्फ भंवरलाल का1/3 हिस्सा पीले रंग से, चोलाराम पुत्र भुराराम का 1/3 हिस्सा लाल रंग से व वादी का 1/3 हिस्सा आसमानी रंग से दिखाया जाना, तथा बेरा झालरा सडा में भी वादी का 1/3 हिस्सा, चोलाराम जी का 1/3 हिस्सा व रूपाराम, उसके भाई राजाराम, शांतिलाल एवं भवराराम उर्फ भवरलाल का 1/3 हिस्सा समालाति रहना जिसे नक्शे में हरे रंग से दिखाया जाना बताया है। आपस में किये गये बंटवाड़े को स्वीकार करते हुए रूपाराम DW1 ने अपने शपथपत्र में तीनों भाई वादी मूलाराम, चोलाराम एवं उसने व उसके भाई राजाराम शांतिलाल, भंवराराम उर्फ भवरलाल की ओर से एक सादे पन्ने से लिखित लिखवाना जिसे स्वीकार करके मूलाराम द्वारा उसके हस्ताक्षर उस के सामने करना व उन सब की तरफ से

सोजत (राज.)

भोलाराम द्वारा अपना अंगुष्ठ निशान उनके सामने करना तथा इस पर साख डालने वालो द्वारा साखे उसके सामने डालना तथा मूलाराम द्वारा उक्त लिखित मूल अपने पास में रख देना तथा उसकी फोटो स्टेट नकल भोलाराम को देना बताया है जिस लिखत को प्रदर्श D14 के रूप मे साबित किया गया है। तथा उसके बाद भी वादी का माफिक बंटवाड़ा आसमानी रंग से दिखाये गये 1/3 हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त रहना बताया है।गवाह रूपाराम ने सादुल जी के फौतेदगी म्युटेशन दिनांक 12/02/1967, व उसके बाद की जमाबंदीयो, भोलाराम जी के फौतेदगी म्युटेशन, वर्तमान सेटलमेंट के खसरा मिलान पत्रक, भू प्रबंधक विभाग के प्रमाणांकन पर्चा नोटिस सहित में, भुराराम जी व उसके पिता पुखाराम जी के फौतेदगीं म्युटेशन व बाद की जमाबंदी तथा खसरा गिरदावरीयों में इन्द्राजत हुए जो बिल्कुल सही होना बताया है। तथा पूर्व वाद के सम्बंध में भी गवाह रूपाराम ने अपने शपथपत्र मे कथन किये है, गवाह रूपाराम ने अपने शपथपत्र में यह भी बताया है कि "हमारे जाट समाज के राव चम्पालाल पुत्र श्री छगनलाल उर्फ छगनलाल ने हमारे परिवार की वंशावली बनाई है। जिन्होने उसे बताया कि इन्होने वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा होना बताया है। यदि मूलाराम ने उसके शपथपत्र में मूलाराम का 1/2 हिस्सा होना लिखाया है तो गलत है। यदि उसे पुनः बुलाये तो सच बताने को तैयार है।" वादी के वकील ने इस गवाह से सारभुत तथ्यों के सम्बंध में कोई जिरह नही की है, इस गवाह के द्वारा वादी की लिखित बहस में तनकी संख्या 1 सम्बंध में किसी प्रकार खण्डन नही करना बिल्कुल गलत बताया है। केवल मात्र प्रतिवादी रूपाराम व स्वयं की वंशावली को स्वीकार करना बताया है, इस गवाह ने अपने शपथपत्र में वादी के पिता भोलाराम गवाह के बड़े पिता भुराराम जी व गवाह के पिता पुखाराम जी तीनों का सगे भाई की तरह साथ में रहना बताया है, इस सम्बंध वादी की ओर कोई जिरह नही कि गई है। इस हिसाब से स्पष्ट है कि इन तीनों का वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा रहा है। वादी के पिता भोलाराम जी के गुजरने के पश्चात् वादी का विवाह सम्बंध भुराराम जी व पुखाराम जी द्वारा करवाये जाने तथा वादी के 20 वर्ष की उम्र में ही भुराराम जी व पुखाराम जी के परिवार से अलग हो जाने के पश्चात् भोलाराम जी का फौतेदगी म्युटेशन भोलाराम जी के मृत्यु के 5 वर्ष बाद वादी खुद द्वारा ही भरवाया जाने और पास करवाया जाने तथा वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि 1/3 हिस्सा होना स्वीकार करके ही उसके पिता भोलाराम जी का फौतेदगी म्युटेशन भरवाकर पास करवाये जाने के तथ्यों के सम्बंध में भी वादी की ओर से कोई जिरह नही की गई है। इस गवाह के बारे में जो तथ्य वादी कि लिखित बहस मे

सोजत (राज.)

उल्लेखित किया गया है कि "तथा सादुल जी के फोत होने पर भुराजी व पुखाजी का 1/2, 1/2 हिस्सा आना चाहिए।" सही ही कहा है सादुल जी का वादग्रस्त कृषि भूमि 2/3 हिस्सा था, सादुल जी की मृत्यु के पश्चात् उसका 1/2 हिस्सा यानि कुल कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा भुराजी व 1/2 हिस्सा यानि कुल कृषि भूमि का 1/3 हिस्सा पुखाजी के बंट मे आ गया। बार बार इस गवाह DW1 रूपाराम के द्वारा वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि पर 1/2 हिस्से कब्जे काश्त से इनकार करने पर भी पुनः प्रश्न पुछने पर कि आज भी मूलाराम का 1/2 हिस्से मे कब्जा है?, का उतर जुंझलाकर गवाह रूपाराम द्वारा दिया गया "अगर है तो रहने दो" इससे यह आशय कदापि नही निकाला जा सका कि उसने मूलाराम का 1/2 हिस्सा होना स्वीकार किया। प्रतिवादीगण की ओर से DW2 शांतिलाल ने भी अपने शपथपत्र में स्पष्ट रूप से 2/3 हिस्सा उसके दादा सादुल जी का व 1/3 हिस्सा वादी के पिता भोलाराम जी का खातेदारी हक का कब्जा काश्त होना बताया है। अपने शपथपत्र में उसने जो तथ्य बताये उन सभी तथ्यो के सोर्स उसके पिता है, यानि सारी बाते डियूकोर्स में उसे उसके पिता ने बताई और पिता से ही उसे जानकारी हुई, क्योंकि शपथपत्र में वर्णित सारी घटनाऐ जो घटी जो उसके बालिक होने के पूर्व व उसके समझ आने से पूर्व की घटी हुई घटना है, पिता के द्वारा बताये गये आधार पर उसने बताई है। तथा उसके पिताजी का देहान्त हो चुका है। इसलिए उसके शपथपत्र को इस आधार पर दरकिनार नही किया जा सकता कि उसने सारी बाते उसकी पिताजी के कहे अनुसार बताई है। इस गवाह शांतिलाल के द्वारा उसके पढे लिखे होने के कारण सारे प्रल्लेख प्रदर्शित करवाये है। इस गवाह के बारे में लिखित बहस में मां के द्वारा बताया जाना व शपथपत्र का पुरा खण्डन करना बिल्कुल गलत बताया है। DW3 भवरलाल ने भी अपने शपथपत्र में वादग्रस्त कुल कृषि भूमि में उसके दादा सादुल का 2/3 हिस्सा तथा वादी के पिता भोलाराम जी का 1/3 हिस्सा खातेदारी हक होना बखूबी बताया है। तथा वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा होना एवं सादुल जी तथा वादी मूलाराम के पिता भोलाराम जी का फौतेदगी म्युटेशन तथा वादी मूलाराम द्वारा पूर्व में प्रस्तुत किये गये वाद के तथ्य आदि स्पष्ट रूप से अपने शपथपत्र में अंकित किये है। इस गवाह के सम्बंध में वादी की लिखित बहस में पद संख्या 07 में नजरी नक्शा शपथपत्र व दस्तावेज की ताईद नही करना तथा जवाब दावा के विपरित बयान देना बिल्कुल गलत लिखा है। प्रतिवादी भवंरलाल DW3 द्वारा भी तनकी संख्या 01 का स्पष्ट रूप से खण्डन किया गया है। और वादी ने अपनी लिखित बहस में भी प्रतिवादी भवंरलाल द्वारा तनकी संख्या 01 का खण्डन करना बताया है। वादी कि लिखित बहस में पुखाराम जी का हिस्सा

पुखाराम जी के चार बेटों में 1/4, 1/4 हिस्सा आना चाहिए तथा सादुल जी का हिस्सा उनके दो बेटो मे 1/2, 1/2 हिस्सा आना चाहिए का विवेचन इस गवाह के सम्बंध मे किया है जो सही किया गया है। इस गवाह ने कोई झूठा बयान नही दिया है। पुखाराम जी का वादग्रस्त कृषि भूमि मे 1/3 हिस्सा उसके चार बेटो मे बराबर बराबर अन्तरनिहित हुआ एवं सादुल जी का 2/3 हिस्सा उनके दोनो बेटो मे बराबर बराबर अन्तरनिहित हुआ। वादी की लिखित बहस में प्रतिवादीगण के गवाहान रूपाराम, शांतिलाल, भवंरलाल, नारायणलाल व ढगलाराम को क्रमशः PW1 PW2 PW3 PW4 PW5 गलती से लिखे है जबकि यह DW1 DW2 DW3 DW4 DW5 लिखा जाना चाहिए था। इसी प्रकार लिखित बहस के पद संख्या 07 में भी प्रतिवादीगण के गवाह भवंरलाल के लिए PW3 गलत लिखा है जबकि उसे DW3 लिखा जाना चाहिए था। प्रतिवादीगण के गवाह DW4 ने बंटवाड़ा के लिखत के सम्बंध में अपने शपथपत्र के माध्यम से बयान दिये है जिसकी जानकारी के सोर्स उसके पिताजी ढगलाराम जी को बताया है यानि ढगलाराम जी से ही जानकारी होना बताया गया है और ढगलाराम जी का लकवे की बीमारी से ग्रसित हो जाना और जबान पर लकवे की बीमारी हो जाना व बिना साहरे के बैठ नही पाना बताया है उसने लिखत प्रदर्श D14 पर उसके पिताजी के हस्ताक्षर होना व उसके पिताजी के हस्ताक्षर को पहचानना बताया है। इस गवाह के द्वारा दिये गये शपथपत्र के सम्बंध में कोई ठोस जिरह नही की गई है। गवाह DW5 ने लिखत प्रदर्श D14 के सम्बंध में अपने शपथपत्र में लिखाया है गवाह के सामने लिखत चोलाराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी धुन्धला से लिखवाया जाना लिखत में उसके सामने मूलाराम द्वारा अपने हस्ताक्षर करना व चोलाराम व रूपाराम द्वारा अंगुष्ठ निशान करना तथा उसके द्वारा भोलाराम के कहने से साख डालना व साख डालने के हस्ताक्षर करना तथा ढगलाराम पुत्र धीसाराम मेघवाल द्वारा भी साख डालना व साख डालने के हस्ताक्षर करना तथा ढगलाराम के लकवा ग्रस्त होना स्पष्ट रूप से बताया है। वादी की ओर से जिरह में इस गवाह के सम्बंध मे कोई विपरित तथ्य नही उगलवाये जा सके है। इस प्रकार वादी की लिखित बहस के पद संख्या 8 में यह बिल्कुल ही गलत लिखा गया है कि "बयान, वंशावली, पुराने दस्तावेज में नंदाजी के दो पुत्र सार्दुल जी व प्रभुजी है इसलिए सार्दुल जी का 1/2 हिस्सा, परभूजी का 1/2 हिस्सा आता है। तथा सार्दुल जी के फौत होने पर भूराजी का 1/4 हिस्सा पुकाजी का 1/4 हिस्सा आना चाहिए तथा भूराजी के फौत होने पर चौला पुत्र भूराजी 1/4 तथा पूखाजी के फौत होने पर रूपा,राजा,भवंर व शांति का 1/4 हिस्सा है इसी प्रकार प्रभुजी के फौत होने पर भोलाजी 1/2 हिस्सा

तथा गोलाजी के फौत होने पर वादी मूलाराम जी का 1/2 हिस्सा आता है तथा वादी के फौत होने कारण उनके वारिसान का 1/2 हक हिस्सा आ रहा है तथा वादी के वारिसान 1/2 हिस्से के खातेदारी व घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है" बयान पुराने दस्तावेजो से नंदा जी के दो पुत्र सादुल जी व प्रभु जी होना कताई साबित नही होता। वादग्रस्त कृषि भूमि कभी नंदा जी के खातेदारी की नही रही सादुल जी के खातेदारी की थी, नंदा जी की खातेदारी होना साबित नही किया गया है। सादुल जी के फौतेदगी म्युटेशन प्रदर्श 04 को कताई नकारा नही जा सकता इसके साथ ही वादी के पिता गोलाराम जी के फौतेदगी म्युटेशन को कताई नकारा नही जा सकता है वादी द्वारा इस वाद के प्रस्तुत करने में देरी तथा इस वाद में पूर्व में प्रस्तुत किये गये वाद के सम्बंध में किसी प्रकार के तथ्यों का उल्लेख नही करना व अपने जिरह में पूर्व के बाद के तथ्यों को स्वीकार करना वादी के द्वारा प्रगट किये गये तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वादी ने यह वाद बिल्कुल ही गलत रूप सेझूठा प्रस्तुत किया है। लगातार जमाबन्दियों में इन्द्राज और दर्ज हिस्से अनुसार यह भलिभांती प्रमाणित है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में वादी के वारिश कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। इस प्रकार वादी तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में बिल्कुल ही असफल रहा है। वादी को वादग्रस्त सम्पति में बाईवर्थ कताई 1/2 हिस्सा खातेदारी हक अर्जित नही हुआ वादी के वारिश न तो 1/2 हिस्से की खातेदारी की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है, न ही वादीके वारिश 1/2 हिस्से के सम्बंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि पर मौके पर 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त नही रहा है। इसलिए लिखित बहस में वादी ने 1/2 हिस्सा कब्जा काश्त प्राप्त करने की डिक्री की मांग की है। इस प्रकार वादी ने स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसका वादग्रस्त कृषि भूमि पर 1/2 हिस्से कब्जा नही है। यानि वादी का केवल मात्र 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त है। एवं वादी ने यह वाद कब्जा प्राप्त करने हेतु धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत नही किया है। जाहीरा वादी का वाद म्याद बाहर है, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 हर हालत में एडवर्स पजेशन से 2/3 हिस्से के खातेदारी हक के अधिकारी हो चुके है। इसलिए वादीगण न तो स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है न ही खातेदारी हक की घोषणा न ही बंटवाड़े करवाने का अधिकारी हैं। इस प्रकार जबाब बहस पेश कर वादी के वाद को खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
रोहट (राज.)

अधिवक्ता वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद के समर्थन में पेश दस्तावेजी साक्ष्य सबूत तथा तस्दीक शुदा शपथ पत्र पर लिये गये बयानात गवाहान पर की गई, जिरह अधिवक्ता प्रतिवादी तथा प्रस्तुत जवाब दावा, अभिरक्षा में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य,वादीगण एवं प्रतिवादी जिहर पर लिये गये बयानात, जिरह अधिवक्ता वादी के आधार पर कायम की गई तनकियात को निम्नांकित रूप से विवेचित किया जाता है–

01. आया वादपत्र के पैरा सं0 1 में वर्णित भूमि में वादी 1/2 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी हैं।

(जिम्मे वादी)

अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–5 खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010–19 पेश किया, जिसमें वादस्थ भूमि के पुराने ख0नं0 26, 42 के खातेदार सादुल वल्द नंदा 1/2 व भोपाल वल्द प्रभु 1/2 कौम जाट सा.देह. खातेदार दर्ज सुदा हैं। सरहद मौजा सोजत रोड़ की जमाबंदी सम्वत् 2019–22 प्रदर्श–6 में भी ख.नं. 26, 42 में सादुल वल्द नंदा 1/2 तथा भोपाल वल्द प्रभु 1/2 कौम जाट दर्ज सुदा हैं। इस जमांबदी के विशेष विवरण में म्यूटेशन सं0 75 दिनांक 12.02.76 इन्द्राज कर सादुल फौत होने से भूरा 1/3, पुका 1/3, भोला 1/3 इन्द्राज किया गया। खसरा बन्दोबस्त प्रदर्श–8 में सादुल वल्द नंदा 1/2 व भोपाल वल्द प्रभु 1/2 कौम जाट दर्ज सुदा हैं, तत्पश्चात् दर्ज नामा0 सं0 20 में सादुल पुत्र नवला का देहान्त होने पर यह नामा0 दर्ज किया जाकर भूरा 1/3, पुका 1/3 व भोला 1/3 पिता सादुल तथा भोपाल पिता प्रभु 1/2 इन्द्राज कर दिया जिसमें, भूरा पुत्र सादुल 1/3, पुका पुत्र सादुल 1/3 व भोला पुत्र प्रभु 1/3 दर्ज कर दिया। इस नामा0 के कॉलम सं0 14 में अंकित किया गया कि सादुल फौत होने पर भोपाल का नाम गलत अंकित हो गया। जबकि प्रस्तुत प्रदर्श–9 वंशावली एवं जमाबंदी सम्वत् 2010–19 से स्पष्ट है कि वादी मूला, भोला का पुत्र है एवं भोला उर्फ भोपाल, प्रभु का जायंदा पुत्र हैं। जिससे बतौर वारिश प्रभु का वादस्थ कृषि भूमि में 1/2 हक हिस्सा बनता हैं।

वादी मय अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व प्रस्तुत गवाहान बयानात में भोला व भोपाल दोनो एक ही व्यक्ति होने संबंधित कोई पुख्ता सबुत पेश नही किये है। इसके अतिरिक्त जिरह में वादी स्वयं स्वीकार करता है कि भोपाल वल्द प्रभु के नाम से मेरे पिताजी नही थे। नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 27.12.1963 गलत भरा गया है जिसे भी वादी स्वंय स्वीकार करता है

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

जिसे दुरूस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 26.01.1967 दर्ज किया गया जिसमें सेटलमेन्ट के समय से भुरा पुत्र सादुल 1/3, पुखा पुत्र सादुल 1/3, तथा भोला वल्द प्रभु 1/3 दर्ज किया गया। वादी द्वारा मौके पर 1/2 भूमि पर कब्जा काश्त होने के संबंधी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये है। वादी द्वारा प्रस्तुत वंशावली में भी प्रभु के पुत्र को नाम भोलाजी बताया गया है जबकि वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज यथा प्रदर्श–5 खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010–19 पेश किया, जिसमें वादस्थ भूमि के पूराने ख0नं0 26, 42 के खातेदार सादुल वल्द नंदा व भोपाल वल्द प्रभु कौम जाट तथा सरहद मौजा सोजत रोड की जमाबंदी सम्वत् 2019–22 प्रदर्श–6 में भी ख.नं. 26, 42 में सादुल वल्द नंदा तथा भोपाल वल्द प्रभु कौम जाट दर्ज होना बताया गया है। सम्पूर्ण वाद में भोपाल व भोला दो नामों से वादी के पिता को संबोधित किया गया है। जिससे वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 26.01.1967 गलत दर्ज किया गया हो। लिहाजा तनकी सं0 1 विरूद्ध वादी तथा बहक प्रतिवादी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती हैं।

02. आया वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/2 हिस्सा का बाई एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाकर कब्जा प्राप्त करने एवं राजस्व रेकर्ड में पृथक ख0नं0, रकबा एवं लगान का इन्द्राज करवाने का अधिकारी हैं।

(जिम्मे वादी)

जिससे तनकी सं0 1 विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण तय की जा चुकी है। नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 26.01.1967 गलत भरा गया हो यह साबित नही हुआ है। जिससे वादी 1/2 हक हिस्से की खातेदार नही होने से 1/2 खातेदारी भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाना का अधिकारी नही हैं। लिहाजा तनकी सं0 2 विरूद्ध वादी तथा बहक प्रतिवादी तय की जाती हैं।

03. आया वादी के लिखत दिनांक 04.11.1985 पर हस्ताक्षर होने से वादी इससे एसटोपड है तथा वाद खारिज योग्य हैं।

(जिम्मे प्रतिवादी)

किसी भी लिखत में उल्लेखित तथ्यों के अधिकार को तय किये जाने का विधिक अधिकार सिविल न्यायालय को है, यद्यपि प्रस्तुत लिखित प्रदर्श–EXD 14 में कही भी 1/3 या 1/2 हक हिस्सा वादी द्वारा स्वीकार किये जाने का अंकन नहीं हैं। जिससे उक्त तनकी विरूद्ध वादी एवं बहक प्रतिवादी तय की जाती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

04. आया वाद धारा 11 सी0पी0सी0 के अनुसार रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से बाधित होने से दुबारा चलने योग्य नहीं हैं।

(जिम्मे प्रतिवादी)

तनकी सं0 4 को दिनांक 13.06.2011 को आदेश पारित कर तय किया जा चुका हैं। तनकी सं0 4 उक्त आदेश के जरिये प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में तय की गई।

05. अनुतोष।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद पत्र, जवाब दावा, फहरिस्त मय दस्तावेज, बयानात गवाहान का अध्ययन का बहस बकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी के पूर्वज प्रभु का जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2019 में 1/ 2 हिस्सा होना बखुबी साबित है। वादस्थ भूमि के खसरा 23 व 46 में सादूल पुत्र नवला/ नन्दा का देहान्त होने से सादुल के विधिक वारिसान का नाम ही दर्ज किया जाना चाहिए था जिसके अनुसार नामा0करण संख्या 20 दिनांक 03.01.1964 दर्ज किया गया जिसमें भुरा 1/3, पुखा 1/3, भोला 1/3 व भोपाल पिता प्रभु 1/2 का इन्द्राज किया गया। इसी भूमि का एक संशोधित नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 31.01.67 दर्ज किया जाकर सादुल के विधिक वारिसान इन्द्राज कर भूरा पुत्र सादुल 1/3, पुखा पुत्र सादुल 1/3, भोला पुत्र प्रभु 1/3, हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2019 के अनुसार प्रभु का 1/2 हक हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज सुदा था। वादी मय अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व प्रस्तुत गवाहान बयानात में भोला व भोपाल दोनो एक ही व्यक्ति होने संबंधित कोई पुख्ता सबुत पेश नही किये है। इसके अतिरिक्त वादी स्वयं स्वीकार करता है कि भोपाल वल्द प्रभु के नाम से मेरे पिताजी नही थे। नामान्तरकरण संख्या 20 दिनांक 27.12.1963 गलत भरा गया है जिसे भी वादी स्वंय स्वीकार करता है जिसे दुरूस्त किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 26.01.1967 दर्ज किया गया जिसमें सेटलेन्ट समय से भुरा पुत्र सादुल 1/3, पुखा पुत्र सादुल 1/3, तथा भोला वल्द प्रभु 1/3 दर्ज किया गया। वादी द्वारा मौके पर 1/2 भूमि पर कब्जा काश्त होने के संबंधी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये है। वादी द्वारा प्रस्तुत वंशावली में भी प्रभु के पुत्र को नाम भोलाजी बताया गया है जबकि वादी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज यथा प्रदर्श–5 खतौनी बन्दोबस्त संवत् 2010–19 पेश किया, जिसमें वादस्थ भूमि के पूराने ख0नं0 26, 42 के खातेदार सादुल वल्द नंदा व भोपाल वल्द प्रभु कौम जाट तथा सरहद मौजा सोजत रोड़ की जमाबंदी सम्वत् 2019–22 प्रदर्श–6 में

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

भी ख.नं. 26, 42 में सादुल वल्द नंदा तथा भोपाल वल्द प्रभु कौम जाट दर्ज होना बताया गया है। सम्पूर्ण वाद में भोपाल व भोला दो नामों से वादी के पिता को संबोधित किया गया है तथा वादी यह साबित करने में विफल रहा है कि नामान्तरकरण संख्या 75 दिनांक 26.01.1967 गलत दर्ज किया गया हो। तनकी संख्या 01 से 03 बहक प्रतिवादी तथा विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई है तथा तनकी संख्या 04 बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी तय की गई है। लिहाजा वादी का वाद पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

—::आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 13/12/2024 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

डिकी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

वादीगण :–

1. मूलाराम पुत्र भोलाराम जाति जाट, फौत कायम मुकामात्
1/1 मिश्री देवी पत्नी स्व. मूलाराम
1/2 सुरेश कुमार पुत्र स्व. मूलाराम
1/3 कन्या देवी पुत्री स्व. मूलाराम
1/4 लक्ष्मण पुत्र स्व मूलाराम
जातिगण जाट निवासीगण सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. चोलाराम पुत्र पुराराम (फौत) के कायममुकामात
1/1 अणदी बाई पत्नी स्व. चोलाराम
1/2 छैलाराम पुत्र स्व. चोलाराम
1/3 शिवलाल पुत्र चोलाराम
1/4 सीता पुत्री स्व. चोलाराम
1/5 गीता पुत्री स्व. चोलाराम
2. रूपा पुत्र पुखा
3. राजा पुत्र पुखा
4. भंवरिया पुत्र पुखा
5. शांतिया पुत्र पुखा तमाम जातिगण जाट, निवासीगण धुन्धला तहसील मा0जं0 जिला पाली राजस्थान
6. तहसीलदार (भू0अ0) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मु0नं0 :– 137/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री जीवराजसिंह लखावत, श्री धर्मीचन्द देवासी एवं श्री गजेन्द्र मेहता अधिवक्ता प्रति0 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादी अपने वाद को साबित करने में विफल रहा हैं। तनकी संख्या 01 से 03 बहक प्रतिवादी व विरूद्ध वादी तय की गई हैं। लिहाजा वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31/12/24 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अर्जी	शून्य	शून्य
स्टाम्प बजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकील	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)